



सत्यमेव जयते

# शुचि दर्पण



सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि



ऐशबाग स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप



बादशाह नगर स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप



वाराणसी सिटी स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप



बनारस स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप



लालकुआं जं. स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप



कासगंज जं. स्टेशन का प्रस्तावित स्वरूप

अक्टूबर 2024

October 2024

पूर्वोत्तर रेलवे

सतर्कता बुलेटिन  
VIGILANCE BULLETIN

अंक - 34

Issue - 34

N.E. Railway





## सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा

मेरा विश्वास है कि हमारे देश की आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है। मेरा विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्र को एक साथ मिल कर कार्य करने की आवश्यकता है।

मेरा मानना है कि प्रत्येक नागरिक को सतर्क होना चाहिए तथा उसे सदैव ईमानदारी तथा सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों के प्रति वचनबद्ध होना चाहिए तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध संघर्ष में साथ देना चाहिए।

**अतः, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि :-**

- ♦ जीवन के सभी क्षेत्रों में ईमानदारी तथा कानून के नियमों का पालन करूँगा ;
- ♦ ना तो रिश्वत लूँगा और ना ही रिश्वत दूँगा ;
- ♦ सभी कार्य ईमानदारी तथा पारदर्शी रीति से करूँगा ;
- ♦ जनहित में कार्य करूँगा ;
- ♦ अपने निजी आचरण में ईमानदारी दिखाकर उदाहरण प्रस्तुत करूँगा ;
- ♦ भ्रष्टाचार की किसी भी घटना की रिपोर्ट उचित एजेंसी को दूँगा।







पूर्वोत्तर रेलवे  
**NORTH EASTERN RAILWAY**

**सतर्कता बुलेटिन**  
**VIGILANCE BULLETIN - 2024**

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह**  
**VIGILANCE AWARENESS WEEK**

**28<sup>th</sup> October - 3<sup>rd</sup> November 2024**







**केन्द्रीय सतर्कता आयोग**  
**CENTRAL VIGILANCE COMMISSION**



सतर्कता भवन, जी.पी.ओ. कॉम्प्लेक्स,  
ब्लॉक-ए, आई.एन.ए., नई दिल्ली-110023  
Satarkta Bhawan, G.P.O. Complex,  
Block A, INA, New Delhi-110023  
सं./No. 023/VGL/035  
दिनांक/Dated 25.10.2023

## *Message*

**Vigilance Awareness Week (30th October to 5th November, 2023)**

Central Vigilance Commission is observing Vigilance Awareness Week. 2023 from the 30<sup>th</sup> October to the 5th November, 2023. Every year, Vigilance Awareness Week is observed as an outreach measure to create greater awareness about the importance of integrity and ethics in public life. The theme for this year is:

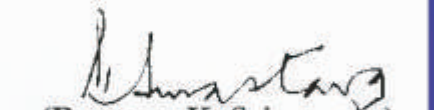
**"Say no to corruption; commit to the Nation"**  
**"भ्रष्टाचार का विरोध करें; राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें"**

As a prelude to Vigilance Awareness Week 2023, the Commission has sought the participation of all Central Government authorities/organisations to undertake a three month campaign (16<sup>th</sup> August to 15<sup>th</sup> November) on preventive vigilance activities as focus areas. As a means of eliciting public participation while also disseminating information on vigilance matters, the Commission has launched a quiz on vigilance matters.

The Commission is also issuing three publications : (i) Best Practices in Vigilance Administration, (ii) Increasing transparency through the use of technology, and (iii) Public Procurement: Challenges and Way Forward. The idea behind these is to disseminate information regarding effective and innovative initiatives undertaken by different organizations to serve as a point of reference and a way forward.

The Commission solicits the participation of all the citizens to come together in bringing about transparency and accountability in public administration.

  
(Arvinda Kumar)  
Vigilance Commissioner

  
(Praveen K. Srivastava)  
Central Vigilance Commissioner







**Dilip Kumar Singh**

Principal Exe. Director (Vigilance) &  
Chief Vigilance Officer



सत्यमेव जयते



### MESSAGE

Vigilance Awareness Week is observed annually to emphasize the significance of morality and integrity in public life. This year, it will be celebrated from 28th October to 3rd November, 2024 with the theme chosen by the Central Vigilance Commission (CVC) being "सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि" or "**Culture of Integrity for Nation's Prosperity.**" The theme underscore the idea that a nation's long-term success and development depend on fostering a culture of honesty, ethics, and accountability across all levels of society.

The CVC has directed all organizations to undertake certain preventive vigilance activities, highlighting these as key focus areas. The Vigilance Department of Indian Railways is regularly taking various measures to enhance transparency in the system and promote systemic improvements. A three-month campaign in this direction has been initiated, running from 16th August to 15th November, 2024. I trust that all units are doing what is necessary to achieve the objectives of the campaign.

I firmly believe that by implementing preventive measures and raising awareness among Railway employees and the public, we can significantly reduce, if not eliminate, corruption within the organization. Indian Railways holds a strong potential to eradicate corruption if we all work in unison, pledge not to take or give bribes, and adopt stringent measures to tackle this menace head-on.

I extend my sincere greetings to everyone contributing to this movement and wish you all a successful Vigilance Awareness Week.

(Dilip Kumar Singh)

**सौम्या माथुर**  
महाप्रबन्धक  
**SAUMYA MATHUR**  
General Manager



पूर्वोत्तर रेलवे  
गोरखपुर - 273012  
**North Eastern Railway**  
Gorakhpur - 273012  
Ph.: 0551-2208000, 62100 (Rly) Fax: 2208108  
Email : gm@ner.railnet.gov.in



## संदेश

भारतीय रेल एक विशाल संगठन है जिसकी जवाबदेही भी उसी अनुपात में गुरुतर है। अतः भ्रष्टाचार से दृढ़ता से निपटने के लिए हमें संकल्पबद्ध होना पड़ेगा।

भ्रष्टाचार उन्मूलन में सतर्कता विभाग की निर्णायक भूमिका होती है। यह भ्रष्ट कार्य-कलापों को उजागर कर भ्रष्टाचारियों को दण्डित करवाता है। साथ ही यह प्रणालीगत कमियों को दूर करने का प्रयास कर भ्रष्टाचार की भावी संभावनाओं पर भी रोक लगाता है।

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह** के अवसर पर पूर्वोत्तर रेलवे के द्वारा रेलकर्मियों में जागरूकता पैदा करने के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी अवसर पर सतर्कता बुलेटिन 'शुचि दर्पण' का भी प्रकाशन किया जा रहा है। इस बुलेटिन में सूचनापरक एवं शिक्षाप्रद लेख हैं जो रेलकर्मियों के दैनंदिन के कार्य-कलापों में उनकी जागरूकता बढ़ाएंगे और वे निर्भीक होकर अपना कार्य-निष्पादन पूर्ण मनोयोग से कर पाएंगे।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन पर मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएँ सम्प्रेषित करती हूँ।

सौम्या माथुर  
(सौम्या माथुर)  
महाप्रबन्धक



**नीलमणि**  
**वरिष्ठ उप महाप्रबन्धक**  
**NILMANI**  
Sr. Dy. GENERAL MANAGER



पूर्वोत्तर रेलवे  
गोरखपुर-273012  
NORTH EASTERN RAILWAY  
GORAKHPUR-273012

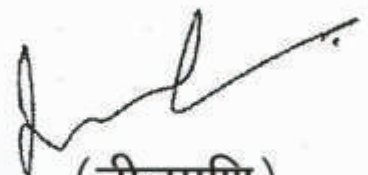
## संदेश

प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय सतर्कता आयोग के तत्वाधान में पूर्वोत्तर रेलवे में “सतर्कता जागरूकता सप्ताह” मनाया जा रहा है। इस वर्ष 28 अक्टूबर से 3 नवम्बर 2024 तक इसका आयोजन होना है, जिसका विषय-वस्तु “सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि” है।

भ्रष्टाचार मुक्त भारत के लक्ष्य को सतर्कता संगठन अकेले प्राप्त नहीं कर सकता है। यह विभाग शिकायतों की जांच तथा जिम्मेदारी तय करता है तथा प्रक्रियात्मक सुधार के सुझाव देता है। अन्य विभागों को भी अपने कार्यशैली में सुधार लाने के लिए अपने स्तर से एकजुट प्रयास करना होगा।

इस अवसर पर सतर्कता विभाग द्वारा अपने सभी साझेदारों को भ्रष्टाचार के प्रति सतर्क रहने के लिए अधिकाधिक जागरूक किया जा रहा है। सभी कर्मचारियों एवं अन्योन्य साझेदारों को एक मंच पर लाकर स्वेच्छा से सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा लेने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अवसर पर यह विभाग “शुचि दर्पण” नामक सतर्कता बुलेटिन प्रकाशित कर रहा है।

“शुचि दर्पण” भ्रष्टाचार निवारण के लिए प्रत्येक रेलकर्मि का आह्वान करता है और उन्हें भ्रष्टाचार के दुष्परिणामों से आगाह भी कराता है। इस बुलेटिन में सतर्कता जाँचों के दौरान पायी गयी अनियमितताओं पर प्रकाश डालते हुए कई विषय शामिल किए गए हैं जो पाठकों को उपयोगी सूचनाएँ देगा ताकि वे भविष्य में अधिक सजग एवं निर्भीक रहकर अपना कार्य निष्पादन कर सकें। सत्यनिष्ठा कार्य के परिणाम को शुभकारी बनाता है। अतः सभी रेलकर्मियों से अपेक्षा है कि वे उच्च-स्तर की निष्ठा और ईमानदारी बनाए रखें।



(नीलमणि)





## झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023



सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा  
दिलाते महाप्रबन्धक  
पूर्वोत्तर रेलवे

“शुचि दर्पण” का विमोचन  
करते मुख्य अतिथि,  
वक्ता एवं विभागाध्यक्ष



सतर्कता सेमिनार में  
मुख्य अतिथि  
(अपर महाप्रबंधक पूरे)  
का सम्बोधन

## झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023



बालिका इण्टर कालेज, पूउरे  
में वाक प्रतियोगिता में  
विजयी प्रतिभागी

सीनियर सेकन्ड्री  
स्कूल पूउरे, गोरखपुर में  
वाक प्रतियोगिता में  
विजयी प्रतिभागी



“वाकाथन” के लिए  
हरी झंडी दिखाते  
अपर महाप्रबन्धक,  
पूउरे



## झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023



“वाकाथन” में वाक करते  
अपर महाप्रबन्धक  
एवं प्रमुख विभागाध्यक्ष

ड्राइंग बनाती  
ए.पी.एन. एकेडमी पिपरा,  
महराजगंज की  
बच्ची



ए.पी.एन. एकेडमी पिपरा,  
महराजगंज की  
ड्राइंग प्रतियोगिता में  
विजयी प्रतिभागी



## झलकियां

सतर्कता जागरूकता सप्ताह - 2023



नुक्कड़ नाटक में  
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक  
का सम्बोधन

रेलवे स्टेशन गोरखपुर  
में सत्यनिष्ठा शपथ दिलाते  
वरिष्ठ उप महाप्रबंधक



रेलवे स्टेशन  
गोरखपुर में  
नुक्कड़ नाटक

## विषय सूची

| क्रमांक            | विषय                                                                                                           | लेखक                 | पृष्ठ सं० |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------|
| <b>लेख :</b>       |                                                                                                                |                      |           |
| 1                  | ROLE OF EXECUTIVES IN VIGILANCE ADMINISTRATION                                                                 | नीलमणि               | 1-2       |
| 2                  | भारतीय रेलवे के अधोसंरचनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों के मानक एवं स्वीकृति मानदंड                                | अजय कुमार सिंह       | 3-8       |
| 3                  | UNDERSTANDING CYBER CRIME: A GROWING THREAT IN THE DIGITAL AGE                                                 | अंकित सक्सेना        | 9-12      |
| 4                  | CULTURE OF INTEGRITY FOR NATION'S PROSPERITY                                                                   | शिवेन्द्र सिंह       | 13-14     |
| 5                  | CYBER SECURITY ASPECTS IN INDIAN RAILWAYS AND SIGNALING (ELECTRONIC INTERLOCKING)                              | अमित कुमार           | 15-17     |
| 6                  | VIGILANCE, A CHECK ON CORRUPTION                                                                               | जॉय अमित वैण्डीन     | 18        |
| 7                  | भारतीय रेल में सतर्कता: नैतिकता, आचार, और तकनीकी के साथ एक पारदर्शी भविष्य की ओर                               | मुकेश कुमार सिंह     | 19-20     |
| 8                  | लोभ: आध्यात्मिक दृष्टिकोण                                                                                      | सूर्य प्रताप सिंह    | 21-22     |
| 9                  | TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN RAILWAYS TO ERADICATE CORRUPTION                                                 | नवनीत सिंह           | 23        |
| 10                 | रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966                                                                                     | एस.के. भारती         | 24-25     |
| 11                 | The world has enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed. - Mahatma Gandhi               | अनादि प्रताप सिंह    | 26-27     |
| 12                 | भ्रष्टाचार का सूत्रपात्र                                                                                       | पवन कुमार श्रीवास्तव | 28        |
| 13                 | भ्रष्टाचार से निपटने में प्रौद्योगिकी की भूमिका                                                                | निशांत परमार         | 29-30     |
| 14                 | रेल यात्रा                                                                                                     | सुनिल कुमार सिंह     | 31        |
| 15                 | सत्यपथ                                                                                                         | अनामिका सिंह         | 32        |
| <b>केस स्टडी :</b> |                                                                                                                |                      |           |
| 1                  | निविदा प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जांच में पायी गयी अनियमितताएं                              | अभय कुमार सिंह       | 33        |
| 2                  | ''मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा की जा रही अनियमितता''                                                             | जैनेन्द्र कुमार भट्ट | 34        |
| 3                  | SYSTEM IMPROVEMENT IN GeM TENDERS                                                                              | सत्येन्द्र नाथ सिंह  | 35        |
| 4                  | बुकिंग कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा रेल राजस्व के गबन का योजनाबद्ध प्रयास                                    | अनादि प्रताप सिंह    | 36        |
| 5                  | IREPS पोर्टल के माध्यम से दो पैकेट प्रणाली के तहत आमंत्रित निविदाओं के निस्तारण में अनियमितता                  | राम मोहन सिंह        | 37        |
| 6                  | S & T कार्यों के अंतर्गत Cable Laying Record से सम्बंधित प्राप्त अनियमितता                                     | सूर्य प्रताप सिंह    | 38        |
| 7                  | किसी मद का तीन या तीन से कम Approved Vendor होने पर क्रयादेश जारी करने की प्रक्रिया के सम्बंध में सतर्कता जांच | विनोद चंद्र यादव     | 39        |



|    |                                                                                                                                            |                       |       |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------|
| 8  | एक अनुबंध के अंतर्गत लोहे के ग्रिल कार्य का वास्तविक कार्य से अधिक वजन का भुगतान किया जाना                                                 | अतुल कुमार श्रीवास्तव | 40    |
| 9  | आरक्षण लिपिक एवं STBA/सहायक द्वारा तत्काल आरक्षण में कारित अनियमितता                                                                       | गिरिजेश प्रताप सिंह   | 41    |
| 10 | बारबेड वायर फेंसिंग कार्य की जांच में पायी गयी अनियमितता                                                                                   | अरून कुमार श्रीवास्तव | 42    |
| 11 | ट्रेनों में On Board स्टाफ के ID कार्ड में पायी गयी अनियमितताएं                                                                            | अमय कुमार सिंह        | 43    |
| 12 | रेल पथ अनुरक्षण कार्य में प्राप्त अनियमितताएं                                                                                              | संतोष त्रिपाठी        | 44    |
| 13 | बुकिंग लिपिक द्वारा कारित अनियमितता                                                                                                        | निशांत परमार          | 45    |
| 14 | पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक इकाई में संबंधित कर्मचारियों के बिना सहमति के निवेश विकल्प (पेंशन फंड मैनेजर) Tier-I में परिवर्तन किया जाना | एस.के. भारती          | 46-48 |
| 15 | फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दुगुनी दर से परिवहन भत्ता का भुगतान                                                                 | सीमा शुक्ला           | 49    |
| 16 | जैम पोर्टल                                                                                                                                 | विनोद चंद्र यादव      | 50    |
| 17 | पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक मंडल में वेतन एवं भत्ते के मद में अधिक भुगतान की वसूली                                                      | एस.के. भारती          | 51    |
| 18 | गाड़ी में टिकट चेकिंग कर्मचारी द्वारा कारित अनियमितता                                                                                      | सुनील कुमार सिंह      | 52    |
| 19 | आरक्षण लिपिक द्वारा कारित अनियमितता                                                                                                        | ओम प्रकाश सिंह        | 53    |

### पद्धति सुधार (SYSTEM IMPROVEMENT)

|   |                                                           |       |       |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|-------|
| 1 | SYSTEM IMPROVEMENTS IMPLEMENTED IN THE YEAR 2023 AND 2024 | ..... | 54-55 |
|---|-----------------------------------------------------------|-------|-------|

★★★★★★



# लेख

## ARTICLES





## ROLE OF EXECUTIVES IN VIGILANCE ADMINISTRATION

**Nilmani**  
SDGM/NER

Vigilance administration is an important part of railway administration. All of us have come across the statement that we are our own Vigilance Officers. However, in actual working of the executives, this often gets relegated to the background. It is thought that vigilance aspects are to be taken care of by the Vigilance Department only. This attitude will have to change if we want to achieve the goal of a fully transparent and corruption free working in the organization.

**Grievance redressal :** A comprehensive system of grievance redressal has been put in place on the Indian Railways. This includes monitoring of receipt of complaints and their redressal at the level of Railway Board/Ministries. Redressal of grievance at the lower levels is equally important. However, major deficiencies are being observed at these levels. System of receipt and accountal of complaints is found missing in a large number of offices. Also, the quality of reply to the complainants is often found wanting. An efficient system of grievance redressal at the levels right up to the in-charge supervisors would be very effective in exercising checks on unscrupulous activities, reducing the quantum of complaints being made to Vigilance Department.

**Rotational Transfer :** As per policy directives of CVC, officials dealing with sensitive matters should not continue on the same post for more than four years. Accordingly, Railway Board have identified sensitive post of officers, and have authorized General Managers to identify other posts as sensitive, as considered necessary. Railway Board have also identified categories of sensitive post of supervisors. Rotational transfer is important for ensuring that officials do not develop vested interests, continuing for long period on the same post. This exercise is to be carried out by executives with utmost diligence, keeping the objective in mind.

**Officials of doubtful integrity :** There is system of maintenance of record of officials of doubtful integrity by the Vigilance Department. For officers, Secret List and Agreed List are maintained as per the instructions contained in Indian Railway Vigilance Manual. These officers are not to be posted on sensitive posts. Officers borne on these lists should not be nominated for any Selection/Screening, on Tender Committee, as Arbitrators or Inquiry Officer, and on foreign assignment/deputation. It is to be ensured that these officers do not deal with matters which involves large financial value or matters where there is a scope of improper exercise of discretion. Also, there is a provision in Indian Railways Vigilance Manual for monitoring of list of supervisory officials of doubtful integrity. PHODs and DRMs are required to identify such officials and advise Vigilance Department. The purpose of the list is to make preventive checks of Vigilance Department more fruitful.



**Timely finalization** : Executives also have an important role at the stage of Vigilance investigation and further follow up action. Expeditious finalization of Vigilance investigation and resultant DAR action against corrupt officials is important. Timely disposal of vigilance cases is critical for the morale of bonafide officials involved therein. A close monitoring of cases by the executive in-charge, particularly at the DAR stage, would avoid undue delays.

**Disciplinary action:** Executives play a crucial role as Disciplinary Authority in Vigilance administration. At the stage of issue of chargesheet (1st stage), Disciplinary Authority's opinion regarding the action to be taken against the suspect officials is taken into consideration by the Vigilance Department. At the stage of imposition of penalty (2nd stage), decision of Disciplinary Authority prevails, and role of Vigilance Department is advisory. Indian Railway Vigilance Manual clearly lays down the procedure on consulting the Vigilance Department. This needs to be followed by the Disciplinary Authority during the DAR process. A well considered decision by the Disciplinary Authority on quantum of punishment, considering the provisions of Discipline and Appeal Rules and the organizational objective of zero tolerance to corruption, is critical.

\*\*\*\*\*

# भारतीय रेलवे के अधोसंरचनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों के मानक एवं स्वीकृति मानदंड

अजय कुमार सिंह

– उप मुख्य सतर्कता अधिकारी/इंजी.

भारतीय रेलवे के अधोसंरचनाओं में सामान्यतः प्रयोग होने वाली सामग्रियां निम्नवत हैं—

## 1.0 ईंट (Brick)

ईंट एक समान आकार के साथ मिट्टी का एक बेक किया हुआ टुकड़ा है। आयताकार ब्लशकों में मिट्टी के मोल्डिंग द्वारा ईंट बनाई जाती है। ईंटों के आयताकार आकार के बॉक्स, भट्टों या चंदवा में सूखा और जला कर सेट होते हैं। ईंटें विभिन्न प्रकार की होती हैं, जिनका उपयोग निर्माण क्षेत्र में अलग-अलग उद्देश्य के लिए किया जाता है। ईंट का मुख्य घटक मिट्टी है। अपने गुणों और वर्गीकरण के आधार पर ईंटों के प्रकार भी विशिष्ट क्षेत्रों या क्षेत्रों के अनुसार पहचाने जाते हैं।

### 1.01 एक अच्छी ईंट के गुण (Qualities of a Good Bricks)

- I- ईंटें एक समान आकार में होनी चाहिए।
- II- यह पर्याप्त रूप से कठोर और दरारों से मुक्त होना चाहिए।
- III- ईंटें दिखने में लाल चेरी रंग/तांबे के रंग की होनी चाहिए।
- IV- यदि एक ईंट को 1 मीटर की ऊंचाई से गिराया जाता है, तो उसे टुकड़ों में नहीं टूटना चाहिए।
- V- 24 घंटे तक पानी में भीगने पर ईंट के भार से 20% से अधिक पानी नहीं सोखना चाहिए।

### 1.02 एक अच्छी ईंट के घटक (Constituents of a Good Bricks)

- a) एल्यूमिना – 20% से 30%
- b) सिलिका – 50% से 60%
- c) चूना – 5% से कम
- d) आयरन ऑक्साइड – 5% से 6%
- e) मैग्नीशियम – कम मात्रा

### 1.03 ईंट के प्रकार (Types of Bricks)

- a) Common burnt clay bricks
- b) Fly ash lime bricks
- c) Clay fly ash bricks
- d) Tile bricks
- e) Brick bats
- f) Jhama bricks

### 1.04 ईंट बांड के प्रकार (Types of Brick Bonds)

ईंट बांड एक शब्द है जिसका उपयोग भवन की दीवारों, स्तंभों आदि के निर्माण में ईंटों की अरेंजमेंट के लिए किया जाता है। ईंटों के जोड़ने के पैटर्न को ईंट बांड कहा जाता है। निर्माण क्षेत्रों में तीन अलग-अलग प्रकार के बांडों का उपयोग किया जाता है और वे हैं:—



- a) फ्लेमिश बांड (Flemish Bond)
- b) अंग्रेजी बांड (English Bond)
- c) स्ट्रेचर बॉन्ड (Stretcher Bond)

#### 1.05 ईंटों के मानक आकार (Standard Sizes)

| Types of bricks/ tiles   | Length L (mm) | Width W(mm) | Height H(mm) |
|--------------------------|---------------|-------------|--------------|
| Modular Bricks           | 190           | 90          | 90           |
| Modular Tile Bricks      | 190           | 90          | 40           |
| Non-modular bricks       | 230           | 110         | 70           |
| Non-modular tiles bricks | 230           | 110         | 44           |

#### 1.06 ईंट की श्रेणी (Classification of Bricks)–

Classes of common burnt clay bricks based on IS-1077

| Class Designation | Average compressive strength not less than |                     |
|-------------------|--------------------------------------------|---------------------|
|                   | N/mm <sup>2</sup>                          | Kgf/cm <sup>2</sup> |
| 12.5              | 12.5                                       | 125                 |
| 10                | 10                                         | 100                 |
| 7.5               | 7.5                                        | 75                  |
| 5                 | 5                                          | 50                  |
| 3.5               | 3.5                                        | 35                  |

#### 1.07 Sampling and Tests-

##### I- Sampling -

- a) **Sampling from a stacks**—जब किसी कार्य स्थल से ईंट का नमूना लेना हो, तो स्टैक को कई वास्तविक या काल्पनिक खंडों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक खंड से आवश्यक संख्या में ईंटें निकाली जाएगी। इस प्रयोजन के लिए स्टैक की ऊपरी परत की ईंटों को हटा दिया जाएगा ताकि स्टैक के भीतर के स्थानों से ईंटों का नमूना लिया जा सके।
- b) Scale of sampling and criteria for conformity for visual and dimensional characteristics

| No. of Bricks in the lot | For characteristics specified for individual bricks |                                            | For dimensional characteristics for group of 20 Bricks |
|--------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                          | Number of bricks to be selected                     | Permissible no. of defective in the sample | Number of bricks to be selected                        |
| 2001-10000               | 20                                                  | 1                                          | 40                                                     |
| 10001-35000              | 32                                                  | 2                                          | 60                                                     |
| 35001-50000              | 50                                                  | 3                                          | 80                                                     |

c) Scale of sampling for physical characteristics

| Lot Size    | Sample size for compressive strength, water absorption and efflorescence | Permissible no. of defectives for efflorescence |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 2001-10000  | 5                                                                        | 0                                               |
| 10001-35000 | 10                                                                       | 0                                               |
| 35001-50000 | 15                                                                       | 1                                               |

**II- Testing— ईंटों के नमूनों का निम्नलिखित परीक्षण किया जाता है—**

a) Dimensional tolerances —ईंटों के विभिन्न आकार होते हैं, और इन आकारों को विस्तार से मानकीकृत किया गया है ताकि निर्माण में समानता हो। भारतीय मानक के अनुसार, सबसे सामान्य ईंट का आकार 190 मिमी x 90 मिमी x 90 मिमी है। यह आकार पूरे देश में निर्माण परियोजनाओं में व्यापक रूप से प्रयुक्त होता है। भारतीय रेलवे में नान माड्यूलर ईंटों का भी प्रयोग किया जाता है, जिसका आकार 230 मिमी x 110 मिमी x 70 मिमी होता है।

b) Water absorption— इस परीक्षण में, पहले ईंटों को शुष्क स्थिति (W1) में तौला जाता है और फिर वे 24 घंटों के लिए पानी में पूरी तरह डूबा देते हैं। 24 घंटों के विसर्जन के बाद, ईंटों को गीला स्थिति (W2) में फिर से इकट्ठा किया जाता है। शुष्क और गीली स्थिति के बीच वजन का अंतर ईंटों द्वारा अवशोषित (Absorbed) जल के रूप में माना जाता है। तब पानी अवशोषण की मात्रा प्रतिशत (%) में निर्धारित की जाती है।

$$\text{Water absorption (\%)} = [(W2-W1)/W1] \times 100$$

ईंटों द्वारा कम पानी की खपत उनकी अधिक गुणवत्ता (Best Quality) दर्शाती है एक ईंट को अच्छी गुणवत्ता के रूप में माना जाएगा, यदि वह अपने वजन के 20% से अधिक पानी Absorbed नहीं करता है।

c) Efflorescence— ईंटों की क्षारीयता जानने के लिए किया जाने वाला परीक्षण, एफ्लोरेसेंस टेस्ट कहलाता है। इस टेस्ट में, ईंटों की सतह पर सफेद क्रिस्टलीय जमाव की जांच की जाती है। ईंटों पर एफ्लोरेसेंस होने का कारण निम्नवत है—

1. जब ईंटें नमी के संपर्क में आती हैं, तो पानी अवशोषित हो जाता है।
2. पानी अवशोषित होने के बाद, क्षार क्रिस्टलीकृत हो जाता है।
3. सूखने के बाद, ईंट की सतह पर भूरे या सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं।





- d) **Compressive strength**— ईट चिनाई पर संरचना का सीधा भार आता है अतः इसकी सम्पीडन सामर्थ्य की जांच की जाती है। ईट क्योंकि एक कृत्रिम उत्पाद है, अतः इस जांच की आवश्यकता और भी बढ़ जाती है। हस्त ढालित (HAND MODULAR) व अच्छी तरह पकी हुई ईट की संदलन सामर्थ्य (Compressive Strength) 5 से 10 N/mm<sup>2</sup> (50 kg to 100 kg/cm<sup>2</sup>) ली जाती है। भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने ईटों का वर्गीकरण उनकी सम्पीडन सामर्थ्य के आधार पर किया है। पकी हुई ईट की सामर्थ्य 35 kg/cm<sup>2</sup> से कम नहीं होनी चाहिये।

$$\text{compressive strength} = \frac{\text{maximum load at failure (in N)}}{\text{average area of bed faces in mm}^2}$$

## 2.0 रेत (Fine Aggregate)

वह एग्रीगेट जिसका अधिकांश भाग 4.75 mm IS छलनी से पास हो जाता है, उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं। फाइन एग्रीगेट में में प्राकृतिक रेत, क्रस्ड स्टोन रेत या क्रस्ड बजरी रेत, पत्थर का चूरा या संगमरमर, धूल, फ्लाई ऐश, सुर्खी (क्रस्ड ईट) या राख शामिल होगी जो IS रू. 2686 के अनुरूप हो। यह कठोर, टिकाऊ, रासायनिक रूप से निष्क्रिय, स्वच्छ और चिपकने वाली कोटिंग्स, कार्बनिक पदार्थ आदि से मुक्त होना चाहिए और उसमें मिट्टी के गोले या छर्रे और हानिकारक अशुद्धियाँ जैसे कि आयरन पाइराइट, क्षार, लवण, कोयला, अभ्रक, शैल या इसी तरह की परतदार सामग्री ऐसे रूप में या ऐसी मात्रा में नहीं होनी चाहिए जिससे धातु का क्षरण हो या मोर्टार, प्लास्टर या कंक्रीट की कठोरता, ताकत, स्थायित्व या उपस्थिति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। सभी हानिकारक सामग्रियों के प्रतिशत का योग 5% से अधिक नहीं होना चाहिए।

- 2.01 गाद की मात्रा (Silt Content)— फाइन एग्रीगेट (रेत) में सिल्ट की अधिकतम मात्रा 8% से अधिक नहीं होनी चाहिए। स्वीकार्य प्रतिशत से अधिक सिल्ट युक्त फाइन एग्रीगेट को धोया जाएगा, ताकि सिल्ट की मात्रा स्वीकार्य सीमा के भीतर आ जाए, जिसके लिए कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जाएगा।

- 2.02 ग्रेडिंग (Grading)— कण आकार के आधार पर, फाइन एग्रीगेट को चार क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है। निर्धारित ग्रेडिंग नीचे दी गई निम्नवत तालिका में दी गई सीमाओं के भीतर होगी। जहां ग्रेडिंग 600 माइक्रोन आईएस छलनी के अलावा छलनी के किसी विशेष ग्रेडिंग क्षेत्र की सीमा से बाहर आती है, जिसकी कुल मात्रा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होती है, इसे उस ग्रेडिंग क्षेत्र के भीतर आने वाला माना जाएगा। ग्रेडिंग जोन जितना ऊँचा होगा, रेत उतनी ही महीन होगी, अर्थात् ग्रेडिंग जोन—I सबसे मोटा और ग्रेडिंग जोन—IV सबसे महीन।

| IS Sieve    | Percentage Passing For |                 |                  |                 |
|-------------|------------------------|-----------------|------------------|-----------------|
|             | Grading Zone-I         | Grading Zone-II | Grading Zone-III | Grading Zone-IV |
| 10 mm       | 100                    | 100             | 100              | 100             |
| 4.75 mm     | 90-100                 | 90-100          | 90-100           | 90-100          |
| 2.36 mm     | 65-95                  | 75-100          | 85-100           | 95-100          |
| 1.18 mm     | 30-70                  | 55-90           | 75-100           | 90-100          |
| 600 Microns | 15-34                  | 35-59           | 60-79            | 80-100          |
| 300 Microns | 5-20                   | 8-30            | 12-40            | 15-50           |
| 150 Microns | 0-10                   | 0-10            | 0-10             | 0-15            |



**Note -1:** क्रस्ड स्टोन की रेत के लिए, 150 माइक्रोन छलनी की अनुमेय सीमा को बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दिया गया है। यह अन्य छलनी पर लागू होने वाले 5 प्रतिशत अनुमन्य छूट को प्रभावित नहीं करता है। 5% अनुमन्य छूट को विभाजित किया जा सकता है, उदाहरण के लिए, यह तीन छलनी में से प्रत्येक पर 1% और दूसरे पर 2% या एक छलनी पर 4% और दूसरे पर 1% हो सकता है।

**Note-2:** ग्रेडिंग जोन IV के अनुरूप फाइन एग्रीगेट का उपयोग प्रबलित सीमेंट कंक्रीट में नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रस्तावित मिश्रण अनुपात की उपयुक्तता सुनिश्चित करने के लिए परीक्षण नहीं किए गए हों।

**Note-3:** प्लास्टर कार्य के लिए मोर्टार बनाने हेतु आवश्यक रेत IS:1542-1977 के अनुरूप होगी और चिनाई कार्य के लिए IS:2116-1980 के अनुरूप होगी।

**Note-4:** यदि समुद्री रेत का उपयोग करने की अनुमति है, तो पानी में पूरी तरह से धोने के बाद फाइन एग्रीगेट की ग्रेडिंग का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।

2.03 उपयोग किए जाने वाले फाइन एग्रीगेट का प्रकार और ग्रेडिंग (Type And Grading Of Fine Aggregate To Be Used) इन्हें अनुबंध में निर्दिष्ट किया जाएगा। यह मोटी रेत, महीन रेत, पत्थर की धूल, संगमरमर की धूल, सुरखी या फ्लाई ऐश होगी। जब तक अन्यथा निर्दिष्ट न हो, समुद्री रेत के उपयोग की अनुमति नहीं दी जाएगी। विवरण नीचे दिया गया है—

- मोटी रेत या तो नदी की रेत या खदान की रेत या दोनों का संयोजन हो सकती है। यह साफ, तीक्ष्ण, कोणीय, छूने में किर किरा और कठोर रेशमी पदार्थ से बना होगा। इसकी ग्रेडिंग तालिका 2.02 के ग्रेडिंग जोन I, II, III की सीमा के अंतर्गत आएगी। मोटे रेत का महीनता मापांक (Fineness Modulus) 2.5 से कम नहीं होना चाहिए।
- महीन रेत या तो नदी की रेत या गड्ढे की रेत या दोनों का संयोजन हो सकती है। इसकी ग्रेडिंग तालिका 2.02 के ग्रेडिंग जोन IV की सीमा के अंतर्गत आएगी। महीन रेत का महीनता मापांक (Fineness Modulus) 1.0 से कम नहीं होना चाहिए।
- स्टोन डस्ट कठोर पत्थरों या बजरी को क्रस्ड कर प्राप्त की जाती है। इसकी ग्रेडिंग तालिका— 2.02 के ग्रेडिंग जोन I, II या III की सीमा के भीतर आएगी।
- मार्बल डस्ट संगमरमर (Marble) को क्रस्ड कर प्राप्त की जाती है। इसकी ग्रेडिंग तालिका— 2.02 के ग्रेडिंग जोन—IV की सीमा के अंतर्गत आएगी।

3.0 **गिट्टी ( Coarse Aggregate )** — एग्रीगेट, कंक्रीट के महत्वपूर्ण घटक हैं जो कंक्रीट को आकार देते हैं। और सिकुड़ने को भी कम करते हैं। कंक्रीट की कुल मात्रा का 70 से 80% भाग एग्रीगेट्स (**aggregates**) रखता है। जब एग्रीगेट को 4.75 मिमी की छलनी के माध्यम से छलनी किया जाता है तो छलनी में बचे हुए मोटे एग्रीगेट को कोर्स एग्रीगेट्स (coarse aggregate) कहा जाता है। इस श्रेणी में बजरी, कोबल और बोल्टर आते हैं।

3.01 **Types of Coarse Aggregate**— एग्रीगेट के प्रकार निम्नवत हैं—

- Stone Aggregate]
- Gravel]
- Brick Aggregate]
- Lightweight aggregate

3.02 **Size and Grading**—

- Nominal sizes of graded stone aggregate or gravel shall be 40, 20, 16, or 12.5 mm as specified-



| Graded Stone Aggregate or Gravel |                                                  |           |           |           |
|----------------------------------|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| IS Sieve Designation             | Percentage passing by weight for nominal size of |           |           |           |
|                                  | 40 mm                                            | 20 mm     | 16 mm     | 12.5 mm   |
| 80 mm                            | 100                                              | -         | -         | -         |
| 63 mm                            | -                                                | -         | -         | -         |
| 40 mm                            | 95 to 100                                        | 100       | -         | -         |
| 20 mm                            | 30 to 70                                         | 95 to 100 | 100       | 100       |
| 16 mm                            | -                                                | -         | 90 to 100 | -         |
| 12.5 mm                          | -                                                | -         | -         | 90 to 100 |
| 10 mm                            | 10 to 35                                         | 25 to 55  | 30 to 70  | 40 to 85  |
| 4.75 mm                          | 0 to 5                                           | 0 to 10   | 0 to 10   | 0 to 10   |

b) Nominal sizes of single sized stone aggregate or gravel shall be 63, 40, 20, 16, 12.5 or 10 mm as

| Single Sized (Ungraded) Stone Aggregate or Gravel |                                                  |        |        |        |         |        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------|--------|---------|--------|
| IS Sieve Designation                              | Percentage passing by weight for nominal size of |        |        |        |         |        |
|                                                   | 63 mm                                            | 40 mm  | 20 mm  | 16 mm  | 12.5 mm | 10 mm  |
| 80 mm                                             | 100                                              | -      | -      | -      | -       | -      |
| 63 mm                                             | 85-100                                           | 100    | -      | -      | -       | -      |
| 40 mm                                             | 0-30                                             | 85-100 | 100    | -      | -       | -      |
| 20 mm                                             | 0-5                                              | 0-20   | 85-100 | 100    | -       | -      |
| 16 mm                                             | -                                                | -      | -      | 85-100 | 100     | -      |
| 12.5 mm                                           | -                                                | -      | -      | -      | 85-100  | 100    |
| 10 mm                                             | 0-5                                              | 0-5    | 0-30   | 0-30   | 0-45    | 85-100 |
| 4.75 mm                                           | -                                                | -      | 0-5    | 0-5    | 0-10    | 0-20   |
| 2.36 mm                                           | -                                                | -      | -      | -      | -       | 0-5    |

भारतीय रेलवे के अधोसंरचनाओं में प्रयुक्त सामग्रियों जैसे ईट, फाइन एग्रीगेट एवं कोर्स एग्रीगेट का उपयोग उपरोक्त मानक एवं संबंधित IS कोड के अनुसार ही होना चाहिए।

\*\*\*\*\*

# UNDERSTANDING CYBER CRIME: A GROWING THREAT IN THE DIGITAL AGE

Ankit Saxena

Dy. CVO/Stores

Cybercrime refers to illegal activities conducted using computers, internet, or other digital technologies. As the world becomes increasingly interconnected, the rise of cybercrime has become a significant challenge for individuals, businesses and governments worldwide. From data breaches to ransomware attacks, cybercriminals exploit vulnerabilities in digital systems, causing financial, operational and reputational damage. This article provides an overview of cybercrime, its various forms, and the steps that can be taken to mitigate its impact.

## What is Cyber Crime?

In general cybercrime may be defined as "Any unlawful act where computer or communication device or computer network is used to commit or facilitate the commission of crime". Cybercrime involves criminal activities that target or utilize computers, networks, and digital devices. It ranges from relatively simple offenses, like sending fraudulent emails, to sophisticated attacks that can cripple entire organizations or even governments. Cybercriminals are motivated by various factors, including financial gain, political agendas, revenge or even just the thrill of causing disruption.

## Cybercrime is typically categorized into two broad types:

1. **Crimes that Target Computers:** These are attacks where the computer itself is the victim. This includes activities like hacking, malware attacks, and denial-of-service (DoS) attacks. The goal here is often to steal, manipulate, or destroy data, or to render a system inoperable.
2. **Crimes that Use Computers as Tools:** In these cases, computers are used to carry out traditional crimes such as fraud, identity theft, and the distribution of illegal content. These crimes leverage the anonymity and scale of the internet to reach a vast number of victims with minimal risk to the perpetrators.

## Types of Cyber Crime

Cybercrime takes many forms, each with its own unique characteristics and consequences. Below are some of the most common types of cybercrime:

1. **Phishing :** Phishing involves tricking individuals into revealing sensitive information such as usernames, passwords, and financial details. This is often done through fraudulent emails or fake websites that resemble legitimate services. Spear phishing, a more targeted form of phishing, is aimed at specific individuals or organizations, while whaling targets high-profile individuals such as CEOs.
2. **Ransomware:** Ransomware is a type of malware that encrypts a victim's files and demands payment in exchange for the decryption key. This form of attack has seen a significant rise in recent years, with cybercriminals targeting both small businesses and large organizations. In many cases, victims are unable to recover their data without paying the ransom.
3. **Identity Theft:** Identity theft occurs when a cybercriminal steals personal information such as Social Security numbers, credit card details, or banking information. This stolen information is often used to commit fraud, make unauthorized purchases, or open accounts in the victim's name.



4. **Hacking:** Hacking refers to unauthorized access to computer systems or networks. Hackers may breach a system to steal data, install malware, or simply disrupt operations. While some hackers are motivated by financial gain, others may hack for political reasons, personal vendettas, or as part of organized cybercrime syndicates.
5. **Denial-of-Service (DoS) Attacks:** A DoS attack overwhelms a server or network with an excessive amount of traffic, causing it to become slow or completely unavailable to users. Distributed Denial-of-Service (DDoS) attacks, which use multiple systems to carry out the attack, are even more damaging and difficult to stop.
6. **Cyberbullying and Harassment:** Cyberbullying involves the use of digital platforms to harass, threaten, or humiliate individuals. This type of crime is particularly prevalent on social media and can have severe psychological effects on victims, especially young people.
7. **Fraud and Scams:** Online fraud and scams encompass a wide range of activities, from fake lottery wins to investment scams. Cybercriminals use the internet to trick individuals into transferring money, providing personal information, or making purchases from fraudulent websites.
8. **Malware:** Malware is software designed to damage or disrupt computer systems. This includes viruses, worms, trojans, and spyware. Some types of malwares are used to steal information, while others can cause significant damage to the systems they infect.
9. **Child Exploitation and Abuse:** The internet has unfortunately become a platform for the distribution of illegal content, including child pornography and materials related to child exploitation. Cybercriminals use online platforms to groom and abuse children, making this a particularly concerning form of cybercrime.

### **Cybercrime Against Individuals**

Cybercriminals often target individuals for financial gain, identity theft, or personal revenge. Common cybercrimes against individuals include:

- **Identity Theft:** The unauthorized use of someone's personal information (e.g., identity documents, credit card information) to commit fraud or theft.
- **E-mail Spoofing:** Cybercriminals send emails that appear to be from legitimate sources to trick recipients into sharing sensitive information.
- **Online Fraud:** Scams like phishing, fake online shopping sites and fraudulent investment schemes target individuals seeking to steal their money.
- **Cyberstalking and Harassment:** Individuals are targeted through social media or other online platforms with threatening or malicious messages.
- **Cyber Bullying:** Digital platforms are used to harass or intimidate individuals, particularly teenagers and young adults.

### **Cybercrime Against Organizations**

Organizations are frequent targets of cybercriminals due to the potential for significant financial gain or disruption. Some of the most prevalent types of cybercrime against organizations include:

- **Data Breaches:** Hackers infiltrate an organization's systems to steal sensitive information such as customer data, trade secrets, or financial records.



- **Ransomware Attacks:** Criminals encrypt a company's files and demand payment to release them. Organizations that are not prepared with backups often end up paying hefty sums.
- **Malware Attacks:** Malware, including viruses, worms, or spyware, can be used to damage or disrupt organizational networks. Once malware infects the system, it can steal data, cause network outages, or create backdoors for future attacks.
- **Denial-of-Service (DoS) Attacks:** A DoS attack can cripple an organization's online presence, preventing customers from accessing websites or services, which leads to financial losses and reputational damage.
- **Financial Fraud and Manipulation:** Cybercriminals may hack into financial systems of organizations to commit fraud, alter financial records, or divert funds. This often targets banks, financial institutions, and organizations with high-value transactions.
- **Industrial Espionage:** Competitors or nation-state actors steal trade secrets and intellectual property to gain a competitive advantage in the marketplace.

### Key Elements of Fighting Cybercrime in India

1. **Legal Framework :** India has established several laws to combat cybercrime, with the Information Technology Act, 2000 (amended in 2008) being the primary legal instrument.
  - **Information Technology Act, 2000:** This is the main law governing cybercrime in India. The IT Act defines various cyber offenses, such as hacking, identity theft, cyberterrorism, and phishing. It also prescribes penalties for these offenses. Key amendments made in 2008 broadened the scope to cover more types of cybercrime and increase punishments.
  - **Indian Penal Code (IPC):** Certain sections of the IPC, like sections 419 (cheating by impersonation) and 420 (fraud), are also applied in cases of cyber fraud.
  - **Digital Personal Data Protection Act, 2023:** This Act is India's first data protection Act and it establishes a framework for processing personal data in India. The Act regulates the governance of personal data collected by organizations and aims at protecting the individual's privacy by empowering them with rights over the manner in which their data is processed.
2. **Cybercrime Cells:** To enforce the law and respond to cybercrime incidents, India has set up cybercrime cells in many cities. These units, part of the police force, specialize in investigating and handling cybercrime cases.
  - **National Cyber Crime Reporting Portal:** The Indian government launched this portal to allow individuals to report cybercrimes, especially cyber fraud and crimes against women and children, like cyberstalking. The portal is available in multiple languages, aiming to reach a wider audience.
  - **State-Level Cybercrime Cells:** Most states and major cities have dedicated cybercrime cells that investigate a range of cyber offenses, from hacking to online fraud.
3. **Indian Computer Emergency Response Team (CERT-In):** The CERT-In is India's national agency for responding to cybersecurity incidents. It works under the Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) and is responsible for monitoring cybersecurity threats, issuing advisories and security practices and coordinating with other cybersecurity agencies and organizations globally.
4. **Law Enforcement Agencies:** Several agencies in India are involved in fighting cybercrime:



- **Central Bureau of Investigation (CBI):** The CBI has a specialized Cyber Crime Investigation Cell that handles high-profile cases, particularly those with international dimensions.
- **National Crime Records Bureau (NCRB):** NCRB collects and analyzes cybercrime data across the country, helping inform policy and law enforcement.
- **National Critical Information Infrastructure Protection Centre (NCIIPC):** This agency is tasked with protecting critical information infrastructure in sectors like defense, finance, energy, and telecommunications from cyberattacks.

## Conclusion

As technology continues to evolve, so do the tactics and methods of cybercriminals. The digital landscape provides both opportunities and challenges, and while technology has greatly benefited society, it has also opened the door to new types of criminal activities. Individuals and organizations must remain vigilant, adopt strong security measures, and work together to mitigate the risks associated with cybercrime. With coordinated efforts from governments, law enforcement, and cybersecurity professionals, the fight against cybercrime can be strengthened, reducing its impact on the global digital ecosystem.

\*\*\*\*\*



## CULTURE OF INTEGRITY FOR NATION'S PROSPERITY

**Shivendra Singh**  
Dy CVO/Traffic

Integrity is more than just a personal value; it's essential for a nation's success. For India to grow and thrive economically, building a culture of integrity is crucial. Indian Railways, one of the largest public sector organizations, plays a key role in this. When Indian Railways operates transparently and efficiently, it directly supports the country's progress.

The theme for Vigilance Awareness Week 2024, "Culture of Integrity for Nation's Prosperity," highlights the need for ethical behavior in organizations like Indian Railways. With its large network that serves millions and helps move goods across the country, Indian Railways is vital to the economy. This article looks at how integrity in governance, along with the vigilance efforts within Indian Railways, can drive national prosperity.

### **Integrity in Governance**

Integrity ensures transparency, fairness, and accountability in government operations. It helps make sure public resources are used properly and benefit everyone. Corruption, on the other hand, damages trust and takes resources away from important projects. In an organization as large as Indian Railways, even small cases of corruption can affect millions of people and hurt the economy.

Indian Railways employs over 1.25 million people and runs thousands of trains every day. Corruption in such a large system could have widespread consequences. By ensuring fairness in contracts and transparent operations, Indian Railways can support India's economic growth and ensure projects are completed efficiently.

### **Indian Railways and Transparency**

Indian Railways has improved transparency and reduced corruption through the use of digital systems. E-procurement has made the tendering process more open, allowing all vendors an equal chance. In 2023-24, contracts worth Rs. 50,000 crore were awarded through e-procurement, resulting in better quality materials and services. This benefits both passengers and the economy.

Additionally, the adoption of online ticketing, which 74% of passengers used in 2023-24, has reduced fraud and improved trust in the system.

### **Vigilance Efforts**

The vigilance department in Indian Railways ensures that operations are ethical and transparent. It works at two levels: the Railway Board (policy-making) and the zonal level (policy implementation).

At the Railway Board level, vigilance audits and inspections identify areas of corruption. In 2023, irregularities worth ₹ 150 crore were found and corrected. Zonal vigilance officers ensure that these policies are followed at every level, handling complaints and taking disciplinary action when needed. Over 3,500



complaints were addressed in 2023-24, leading to action against more than 1,200 employees.

Vigilance also educates employees on the importance of integrity through workshops and training programs, helping shift the organization toward more ethical practices.

### **Leadership and Responsibility**

Leaders in Indian Railways play a big role in promoting integrity. They set an example by participating in vigilance programs and ensuring transparency. However, maintaining integrity is everyone's responsibility. From top officials to frontline workers, all employees must commit to ethical standards.

### **Conclusion**

Integrity is key to national prosperity. For India to achieve its economic goals, integrity must be at the heart of all institutions, including Indian Railways. By focusing on transparency, accountability, and ethical practices, Indian Railways contributes to the nation's growth and sets an example for others to follow.

\*\*\*\*\*





# CYBER SECURITY ASPECTS IN INDIAN RAILWAYS AND SIGNALING (ELECTRONIC INTERLOCKING)

Amit Kumar  
Dy.CVO/S&T

Indian Railways is under going a digital transformation, leveraging advancements in both operational technology (OT) and information technology (IT) to enhance efficiency, safety, reliability and service quality- However, this integration also introduces new security challenges- Ensuring the security of both OT and IT systems is critical to maintaining the reliability and safety in Railways-

## **Railway Operational Technology (OT) Systems**

Railway OT uses the systems that monitor and control railway operations- Key components of Railway operations:

- **Signaling Systems:** Manage train movements using different type of interlocking system and ensure safe operations.
- **Track Monitoring:** Remote Diagnostic and Predictive maintenance system (RDPMS) system to detect defects in welds, sensor-based monitoring system at bridges and tunnels.
- **Communication Systems:** Facilitate communication between trains, control centers and maintenance teams.
- **Power/loco/Crew Management:** Controls the distribution and consumption of electrical powers and Crew management across the railway network.

## **Railway Information Technology (IT) Systems**

Railway IT involves systems that manage data and support business processes. Key components include:

- **Passenger Information Systems:** Provide real-time information on train schedules and services i.e. NTES etc.
- **Ticketing Systems:** Manage ticket sales and reservations like UTS, PRS etc.
- **Data Analytics:** Analyze data to optimize operations and improve service quality.
- **Organizational Systems:** Support administrative functions such as human resources, finance, and asset management like HRMS, AIMS, UDM etc.

## **Challenges in Securing Railway OT and IT Systems**

- Many railway OT systems are outdated and lack built-in security features, making them vulnerable to cyberattacks.
- The integration of diverse OT and IT systems from multiple vendors complicates the implementation of comprehensive security measures
- OT systems require real-time performance, limiting the types of security measures that can be implemented without affecting operations.
- Railway systems are geographically dispersed, making it difficult to maintain consistent security across all locations-
- Cyber threats are constantly evolving, requiring ongoing vigilance and adaptation of security strategies



### **Strategies and Plans for Enhancing Railway OT and IT Security**

- 1. Network Segmentation:**  
Implement network segmentation to isolate critical OT and IT systems. This prevents unauthorized access and limits the spread of threats across the network.
- 2. Robust Access Control:**  
Enforce strict access controls and authentication mechanisms to ensure that only authorized personnel can access sensitive systems and data.
- 3. Regular Patching and Updates:**  
Keep all OT and IT systems updated with the latest patches and security updates to mitigate known vulnerabilities.
- 4. Continuous Monitoring and Incident Response:**  
Deploy continuous monitoring systems to detect and respond to abnormal activities in real-time. Develop an incident response plan to handle security breaches effectively.
- 5. Employee Training and Awareness:**  
Train employees on cybersecurity best practices and the specific security requirements of OT and IT systems. Educate them on how to recognize and report potential security threats.
- 6. Secure Configuration Management:**  
Maintain secure configurations for both OT and IT systems, regularly auditing them for compliance with security policies and standards.
- 7. Advanced Encryption Techniques:**  
Use encryption to protect data in transit and at rest, ensuring that sensitive information is secure from unauthorized access and tampering.
- 8. Collaboration and Information Sharing:**  
Collaborate with industry partners, government agencies, and cybersecurity experts to share information on threats and best practices. This enhances the overall security posture of the railway industry-

### **Cyber Security aspects of Electronic Interlocking System**

Cyber security OT audit of Electronic Interlocking system has been done by NSCS (National Security Council Sectt-) Audit and Assessment Team (NAAT) at few installations over Indian Railways- Based on the audit done by the agency, important points to be followed for security of Electronic Interlocking systems and Data logger system-

- 1- Any unauthorized software should strictly be prohibited in VDU PC, MT PC and Data logger PC. Only those software should be allowed which are essential for operation of these PCs. A list of software (with version number) installed in the PCs should be maintained at stations.
- 2- Internet connection and installation of remote access software like "Any Desk" on VDU PCs, MT PC and Data logger PC should strictly be prohibited.
- 3- Wireless keyboard and mouse should not be used on VDU PCS, MT PC and Data logger PC. If any such PC is using wireless keyboard and mouse using a Bluetooth USB dongle, this may be replaced with the wired keyboard and mouse.



- 4- At one installation, Data logger PC was using windows 7 operating system and the operating system was not genuine version of Windows. It is recommended to use only genuine operating system and other software products in the system- It is suggested to install antivirus software in the MTPC and Data logger PC.
- 5- The officials must use username and password for accessing HMI frames (VDU PCs and MT PC)- It is advised that the password used may contain a mix of alpha, numeric and special characters- Employees should be sensitized and properly trained to keep passwords in secure manner.
- 6- It has been observed that employees are trained and well aware of the operational aspect of the EI system but lack knowledge related to security. Employees may be given training on security aspects.
- 7- It has been observed that Network switches are having unused network ports. These should be configured keeping priority to security. Unused ports should be disabled.
- 8- In general, the system documentation lacks the software related information like software version, revision history. System documentation should have software related information like software version, revision history etc.
- 9- At many places, it has been seen that the user authorization levels for accessing logs and data are not defined and documented. Railways must document the different user authorization levels for accessing logs and data- The responsibility of management and security of log data is not defined. The management of log data and its security must be assigned to an Individual. A network administrator level official from Railways is suggested to monitor the activities at the Centralized Data logger room.
- 10- Modification in the control logic and controller configuration should be done with due approval of competent authority of the zonal railway. Log of modification of control program (Application logic) should be documented.

These guidelines are essential to ensure security of Electronic Interlocking system from various cyber security threats.

Similarly for other Railway OT systems and Railway IT systems cyber security is very important. Railways has taken initiative to set up Indian Railway Security Operation Centre (IR&SOC) at Zonal Railways, Production Units, RDSO etc. for safety and security of IT assets at Indian Railways. Ensuring the security of railway OT and IT systems is not just a technological challenge but a vital component of maintaining public trust and the seamless operation of one of the important transportation systems.

**References-1-EI/TAN/Security Version 1-0 dated 01/03/23**

\*\*\*\*\*



## VIGILANCE, A CHECK ON CORRUPTION

**Joy Amit Vandrine**

Dy. CVO/Accounts

The first train in India was flagged off from Bori Bunder to Thane on 16th April 1853, the train was hauled by three steam locomotives. It had 14 coaches and carried 400 passengers. The development of Railways constantly proceeded and the Railway network went on increasing day by day, at present we have approx 69000 route Km out of which 64000 Km is electrified, about 23000 trains (passenger and goods) are hauled daily. The daily freight loading is about 3 million tones.

The 12 lakh employees have constantly been contributing to the development and increase of the Railways, still corruption has crept silently in many areas of the organization. Corruption is a menace which retards the process of development and it has far reaching detrimental effects on the organization. Corruption refers to abuse of power or position for personal gain. It can take many forms including bribery, embezzlement, nepotism, frauds etc.

As per the Corruption Perception Index 2023 India ranks 93 out of 180 countries, India scored 39 marks out of 100. Thus it shows that the level of corruption is 60% i.e. 6 out of 10 persons had to adopt illegal methods to get their work done. Corruption affects the nation's economic progress. In order to curb corruption the Central Vigilance Commission was set up by the Government of India in 1964, it was set up on the recommendations of Committee on Prevention of Corruption headed by Shri K. Santhanam.

Vigilance helps in combating corruption in the following ways.

**Deter Corruption** By propagating that the activities of one is being watched and one is under surveillance.

**Prevent Corruption** By spreading awareness amongst the citizens not to support corruption and inform about corruption.

**Detect Corruption** Identify and investigate corruption, fixing of responsibility and accountability.

The authorities to whom powers are entrusted should exercise their financial powers keeping in mind the Canons of Financial Propriety and should exercise it judicially and impartially. Also while exercising Financial Powers and other than Financial Powers it should be seen that there is no Vigilance angle in the same, Vigilance angle is defined as follows.

- (a) Demanding and/or accepting gratification.
- (b) Obtaining valuable things from a person with whom one has or is likely to have official dealings or subordinates.
- (c) Obtain for himself or any other person valuable things or pecuniary advantages by corrupt or illegal means or by abusing his position.
- (d) Possession of disproportionate assets.
- (e) Misappropriation, forgery cheating etc.

The purpose of vigilance is not to reduce but to enhance the level of managerial efficiency and effectiveness in the organization.

Vigilance helps the organization by advising various system improvements, reforms and by introducing transparency in exercising discretionary powers. Strong vigilance helps in economic growth and social justice. The act of vigilance is being watchful, alert, attentive in monitoring the activities of individuals and offices thus preventing wrong doing and corruption.

It can be said that vigilance is essential in combating corruption, promoting accountability and ensuring a just and equitable society.

\*\*\*\*\*



## भारतीय रेल में सतर्कता: नैतिकता, आचार, और तकनीकी के साथ एक पारदर्शी भविष्य की ओर

मुकेश कुमार सिंह

— सहायक सतर्कता अधिकारी/यातायात

भारतीय रेल, जो देश की परिवहन प्रणाली की जीवनरेखा है, राष्ट्रीय एकता और आर्थिक प्रगति का प्रतीक है। इसके विशाल और जटिल कार्यप्रणाली के कारण भ्रष्टाचार, अनियमितताएं और नैतिक पतन जैसे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सतर्कता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, जो यह सुनिश्चित करती है कि संगठन पारदर्शिता, जवाबदेही और ईमानदारी के साथ कार्य करे। भारतीय रेल के संदर्भ में कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता, नैतिकता और आचार की महत्ता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आधुनिक तकनीकी के उपयोग पर चर्चा करना समीचीन होगा।

### सतर्कता जागरूकता: एक महत्वपूर्ण स्तंभ

भारतीय रेल में भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण बनाने के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों के बीच सतर्कता जागरूकता का प्रसार करना एक महत्वपूर्ण कदम है। हर कर्मचारी, चाहे वह फील्ड स्तर का हो या वरिष्ठ अधिकारी, संगठन के नैतिक ढांचे को बनाए रखने में अपनी भूमिका निभाता है।

सतर्कता विभाग द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम, प्रशिक्षण और कार्यशालाएं कर्मचारियों को नियमों, विनियमों और नीतियों की गहरी समझ प्रदान करती हैं। इसके अलावा, यह उन्हें भ्रष्ट गतिविधियों की पहचान करने में सक्षम बनाती हैं। भारतीय रेल सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान सतर्कता अभियानों के माध्यम से यह सुनिश्चित करती है कि संगठन में 'सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि' जैसे विषय प्रासंगिक रहें।

हालांकि औपचारिक प्रशिक्षण महत्वपूर्ण है, लेकिन सतर्कता प्रक्रियाओं में एक स्थायी सांस्कृतिक परिवर्तन के लिए कर्मचारियों और अधिकारियों की व्यक्तिगत प्रतिबद्धता आवश्यक है। सतर्कता को केवल अनुपालन के रूप में न देखकर इसे एक आंतरिक जिम्मेदारी के रूप में अपनाया जाना चाहिए। जब कर्मचारियों को इसके प्रति व्यक्तिगत स्वामित्व का अहसास होगा, तो वे भ्रष्टाचार मुक्त माहौल बनाने में योगदान देने के लिए और अधिक प्रतिबद्ध होंगे।

### नैतिकता और आचार: भ्रष्टाचार मुक्त वातावरण की नींव

नैतिकता और आचार सतर्कता प्रयासों की नींव हैं। भारतीय रेल, एक सार्वजनिक सेवा संगठन होने के नाते, उच्च नैतिक मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है। सतर्कता का उद्देश्य केवल भ्रष्ट व्यक्तियों को पकड़ना नहीं, बल्कि नैतिक आचरण और ईमानदारी को बढ़ावा देना है।

कर्मचारियों को यह समझना जरूरी है कि उनके पेशेवर आचरण के हर कार्य का व्यापक प्रभाव होता है, जो न केवल संगठन की प्रतिष्ठा पर बल्कि करोड़ों यात्रियों के विश्वास पर भी असर डालता है। नेतृत्व नैतिक मानदंडों को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वरिष्ठ अधिकारियों को निष्पक्षता, पारदर्शिता और ईमानदारी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करना चाहिए। यह नैतिक नेतृत्व पूरे संगठन में फैलता है और सुनिश्चित करता है कि कर्मचारी भी इन मूल्यों को अपने दैनिक कार्यों में अपनाएं।

इसके अलावा, नियमित संचालन में नैतिक दिशा-निर्देशों को शामिल करने से भ्रष्टाचार के पनपने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। भारतीय रेल ने आचार संहिता और नैतिक मानदंडों को लागू करने के लिए ठोस प्रयास किए हैं। हालांकि, इन प्रयासों को प्रभावी रूप से लागू करने के लिए उन्हें सतत रूप से आंतरिक संचार, सतर्कता ऑडिट और प्रदर्शन मूल्यांकन के माध्यम से मजबूत किया जाना चाहिए।



## भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए तकनीकी का उपयोग

वर्तमान डिजिटल युग में, तकनीक सतर्कता सुनिश्चित करने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एक शक्तिशाली उपकरण के रूप में उभरी है। विभिन्न ऑपरेशनल पहलुओं में तकनीकी का एकीकरण भ्रष्टाचार विरोधी लड़ाई में एक गेम-चेंजर साबित हुआ है।

सबसे प्रभावी तरीकों में से एक, जिसे भारतीय रेल ने अपनाया है, वह है ई-प्रोक्योरमेंट प्रणाली का उपयोग। इस प्रणाली ने मानव हस्तक्षेप को काफी हद तक कम कर दिया है, जिससे भ्रष्टाचार के अवसर न्यूनतम हो गए हैं। डिजिटल प्रणाली के माध्यम से निविदा प्रक्रिया को पारदर्शी, खुली और आंतरिक एवं बाहरी हितधारकों द्वारा जांच योग्य बनाया गया है।

डाटा एनालिटिक्स का उपयोग भी एक अभिनव तरीका है, जो सतर्कता विभाग को अनियमितताओं की पहचान करने में मदद करता है। उन्नत एल्गोरिदम वित्तीय लेन-देन, टिकट बिक्री और सामग्री खरीद में पैटर्न का विश्लेषण कर तुरंत किसी भी विसंगति का पता लगाते हैं। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके, विभाग संभावित जोखिमों का अनुमान लगा सकता है और उन्हें बड़े मुद्दों में बदलने से पहले निपट सकता है।

इसके अलावा, तकनीकी ने शिकायत निवारण प्रणाली को अधिक सुलभ बना दिया है। केंद्रीयकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) जैसे डिजिटल प्लेटफार्मों के माध्यम से कर्मचारी, विक्रेता और जनता भ्रष्ट गतिविधियों की गुमनाम शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इन प्लेटफार्मों पर शिकायतों की रियल-टाइम ट्रैकिंग होती है, जिससे समय पर समाधान और जवाबदेही सुनिश्चित होती है।

बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली, जीपीएस आधारित ट्रेन मॉनिटरिंग और डिजिटल भुगतान जैसी तकनीकें और अधिक पारदर्शिता जोड़ती हैं। ये प्रक्रियाओं को स्वचालित, छेड़छाड़ से मुक्त और सतत सतर्कता के अधीन बनाती हैं, जिससे मानव हस्तक्षेप और हेरफेर की संभावना कम होती है।

## सतर्क भविष्य का निर्माण: सामूहिक जिम्मेदारी

भारतीय रेल में भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई सामूहिक जिम्मेदारी के बिना नहीं जीती जा सकती। कर्मचारी, अधिकारी और यहां तक कि यात्री भी यह सुनिश्चित करने में भूमिका निभा सकते हैं कि प्रणाली पारदर्शी और अनियमितताओं से मुक्त रहे। एक ऐसा वातावरण बनाना जिसमें व्हिसल ब्लोअर सुरक्षित महसूस करें और भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित हों, आवश्यक है। संगठन को अपनी आंतरिक सतर्कता तंत्र को भी मजबूत करना चाहिए और एक ऐसी संस्कृति को बढ़ावा देना चाहिए जहां ईमानदारी और सत्यनिष्ठा को पुरस्कृत किया जाए।

भविष्य में सतर्कता संगठन का ध्यान निरंतर बदलावों के साथ तालमेल बनाए रखने पर होना चाहिए। जैसे-जैसे तकनीकी आगे बढ़ती है, वैसे-वैसे भ्रष्टाचार के तरीकों में भी बदलाव होते हैं। इसलिए, भारतीय रेल को अपनी प्रणालियों, प्रक्रियाओं और सतर्कता रणनीतियों को लगातार अद्यतन करते रहना चाहिए।

## निष्कर्ष

निष्कर्षतः, सतर्कता जागरूकता, नैतिकता, आचार और उन्नत तकनीकी भारतीय रेल के भविष्य को आकार देने वाले महत्वपूर्ण स्तंभ हैं। मजबूत नैतिक नींव स्थापित करके, सतर्कता की संस्कृति को बढ़ावा देकर और अत्याधुनिक तकनीकी का उपयोग करके, भारतीय रेल भ्रष्टाचार मुक्त और अत्यधिक पारदर्शी संगठन बनने की दिशा में अपनी यात्रा को जारी रख सकती है। कर्मचारियों और अधिकारियों की सामूहिक जिम्मेदारी इस दृष्टि को साकार करेगी, जिससे लाखों लोगों का विश्वास मजबूत होगा और संगठन को ईमानदारी और उत्कृष्टता के उच्चतम शिखर पर पहुंचाएगी।

\*\*\*\*\*



## लोभः आध्यात्मिक दृष्टिकोण

सूर्य प्रताप सिंह  
— मुसतानि/सिग. एवं दू.सं

ईश्वर द्वारा निर्धारित हमारे भाग से अधिक की कामना और उसके लिए प्रयत्न करना ही लोभ है।

**ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्चि जगत्यां जगत् ।**

**तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्यस्विद्धनम् (श्रीईशोपनिषद् मंत्र 1)**

इस ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक जड़ अथवा चेतन वस्तु भगवान् द्वारा नियंत्रित है और उन्हीं की संपत्ति है। अतएव मनुष्य को चाहिए कि अपने लिए केवल उन्हीं वस्तुओं को अपनाए जो उसके लिए आवश्यक हैं और जो उसके भाग के रूप में नियत कर दी गई हैं। मनुष्य को यह भली-भाँति जानते हुए कि अन्य वस्तुएँ किसकी हैं, उन्हें स्वीकार नहीं करना चाहिए।

इसे सरल भाषा/व्यावहारिक तौर पर इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि मनुष्य जिस भी नौकरी/व्यवसाय में हो एक व्यवस्था के तहत जो भी वेतन/सुविधा/लाभ उसके लिये निर्धारित हो उससे अधिक (अवांछित भौतिक सम्पत्ति) की कामना नहीं करनी चाहिए।

निर्धारित मात्रा से अधिक पाने की प्रवृत्ति को लोभ कहते हैं। मानव जाति को चाहिए कि श्री ईशोपनिषद् के इस वैदिक ज्ञान को ग्रहण करे और भौतिक स्वामित्व के लिए झगड़ा न करे। मनुष्य को भगवान् की कृपा से जो भी सुविधाएँ मिली हैं उन्हीं से संतुष्ट रहना चाहिए।

जब वामन भगवान् ने बलि महाराज से केवल तीन पग भूमि की याचना की तो बलि महाराज ने कहा कि यह मांग बुद्धिमत्तापूर्ण नहीं है क्योंकि वह एक राजा हैं और उस युवा ब्राह्मण को जितना चाहे उतनी भूमि दे सकते हैं। परंतु वामन भगवान् उन्हें निम्नलिखित उत्तर देते हुए स्पष्ट निर्देश देते हैं जो कि हम सभी के लिए उतना ही प्रासंगिक है:

**यकृच्छयोपपन्नेन सन्तुष्टो वर्तते सुखम् ।**

**नासन्तुष्टस्त्रिभिर्लोकैरजितात्मोपसादितैः (श्रीमद् भागवत 8.19.24)**

मनुष्य को अपने प्रारब्ध से जो कुछ मिलता है उससे सन्तुष्ट रहना चाहिए क्योंकि असन्तोष से कभी भी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। जो व्यक्ति आत्मसंयमी नहीं है, वह तीनों लोकों को पाकर भी सुखी नहीं होगा।

**पुंसोऽयं संसृतेर्हेतुरसन्तोषोऽर्थकामयोः ।**

**यकृच्छयोपपन्नेन सन्तोषो मुक्तये स्मृतः (श्रीमद् भागवत 8.19.25)**

भौतिक जीवन कामेच्छा की पूर्ति एवं अधिक धन पाने की इच्छा में असन्तोष उत्पन्न करता है। बारम्बार जन्म तथा मृत्यु से पूर्ण भौतिक जीवन के बने रहने का यही कारण है। किन्तु प्रारब्ध से जो कुछ प्राप्त होता है उसी से सन्तुष्ट रहने वाला मनुष्य इस भौतिक जगत से मुक्ति पाने के योग्य है।

शास्त्रों के अनुसार आवश्यकता से अधिक संग्रह करना लोभ का लक्षण है। इस समय सारा विश्व इसी के कारण कष्ट उठा रहा है

**त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।**

**कामरु क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥ (भगवद्गीता श्लोक 16.21)**

इस नरक के तीन द्वार हैं काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है।

**कामस्यान्तं हि क्षुत्तृद्भ्यां क्रोधस्यैतत्फलोदयात् ।**

**जनो याति न लोभस्य जित्वा भुक्त्वा दिशो भुवः (श्रीमद् भागवत 7.15.20)**



भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएँ तथा आवश्यकताएँ भोजन करने के पश्चात निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती हैं। इसी प्रकार यदि कोई क्रोध करता है, तो प्रताड़ना तथा उसके फल द्वारा क्रोध तुष्ट हो जाता है। लेकिन जहाँ तक लालच का प्रश्न है, यदि लालची व्यक्ति संसार की सारी दिशाओं को भी जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी वह तुष्ट नहीं होगा।

भगवद्गीता (16.21) में कहा गया है कि इस संसार में काम, क्रोध तथा लोभ बद्धजीव के बन्धन के कारण होते हैं। काम क्रोध और लोभ के कारण मनुष्य नरक (अधोगति) को प्राप्त होता है। उक्त तीनों दोषों में लोभ ज्यादा हानिकारक है क्योंकि श्रीमद् भागवत (7.15.20) के अनुसार भूख तथा प्यास से पीड़ित मनुष्य की प्रबल शारीरिक इच्छाएँ तथा आवश्यकताएँ भोजन करने के पश्चात निश्चित रूप से तुष्ट हो जाती हैं। जब इन्द्रियतृप्ति के लिए प्रबल विषयवासना की पूर्ति नहीं होती तो मनुष्य क्रोध करता है। यह क्रोध भी शमित होता है जब वह अपने शत्रु को ताड़ित कर लेता है, किन्तु जब लोभ बढ़ जाता है, तो मनुष्य संसार की सारी दिशाओं को भी जीत ले या संसार की प्रत्येक वस्तु का भोग कर ले तो भी वह तुष्ट नहीं होगा। लोभ रजोगुण से उत्पन्न सबसे बड़ा शत्रु है।

**सन्तोषस्त्रिषु कर्तव्यरु स्वदारे भोजने धने।**

**त्रिषु चैव न कर्तव्यो अध्ययने जपदानयोरु॥ (चाणक्य नीति)**

मनुष्य को अपनी पत्नी (साथी), भोजन और धन से संतुष्ट होना चाहिये। मनुष्य को अध्ययन, दान और जप में संतोष नहीं करना चाहिए।

चाणक्य के अनुसार व्यक्ति के पास जितना धन हो, जितनी उसकी आय हो उसी में खुश रहना चाहिए। जैसी आर्थिक स्थिति हो व्यक्ति को उसी में संतोष कर लेना चाहिए।

**यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः।**

**न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् (भगवद्गीता श्लोक 16.23)**

जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परमगति की प्राप्ति हो पाती है।

मानव समाज के विभिन्न आश्रमों तथा वर्णों के लिए शास्त्र विधि दी गयी है। प्रत्येक व्यक्ति को इन विधि विधानों का पालन करना होता है। यदि कोई इनका पालन न करके काम, क्रोध और लोभवश स्वेच्छा से कार्य करता है, तो उसे जीवन में कभी सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती। दूसरे शब्दों में, भले ही मनुष्य ये सारी बातें सिद्धान्त के रूप में जानता रहे, लेकिन यदि वह इन्हें अपने जीवन में नहीं उतार पाता, तो वह अधम जाना जाता है।

**आत्मज्ञानं समारम्भस्तितिक्षा धर्मनित्यता।**

**यमर्थान्नापकर्षन्ति स वै पण्डित उच्यते ॥ (विदुर नीति)**

जिन्हें अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान है, जो धर्मात्मा हैं, जो दुःख सहन कर लेते हैं, जो धर्म का पालन करते हैं तथा जो धन के लालच में सही रास्ते से नहीं भटकते, वे ही पण्डित अर्थात् विद्वान् कहलाते हैं।

\*\*\*\*\*

## TECHNOLOGICAL ADVANCEMENTS IN RAILWAYS TO ERADICATE CORRUPTION

Navneet Singh  
CVI/Traffic

Technological advancements are playing a vital role in combating corruption in the railway sector by increasing transparency, efficiency, and accountability. Some key innovations include:

1. **\*E-Procurement and E-Tendering\***: Digital platforms for procurement and tendering processes reduce human intervention, ensuring transparency, fairness, and minimizing opportunities for favouritism or bribery. Automated systems track bids, contracts, and transactions, making audits easier.
2. **\*Online Complaint Systems\***: Digital grievance redressal platforms allow passengers and employees to file complaints against corrupt practices anonymously, encouraging whistleblowing without fear of reprisal.
3. **\*Automated Ticketing and Booking\***: The introduction of online ticket booking, Automatic Ticket Vending Machines (ATVMs), and QR-based ticketing systems reduces cash handling and eliminates intermediaries, reducing the chances of fraud or black-market ticketing.
4. **\*Real-Time Monitoring Systems\***: GPS tracking and data analytics are used for real-time monitoring of train movements, reducing manipulations in schedules and ensuring operational efficiency. It also aids in monitoring fuel consumption and staff productivity.
5. **\*Digital Payroll and Financial Transactions\***: Implementing digital payment methods for salaries and vendor payments reduces the risk of financial discrepancies, fraud, and misappropriation of funds.
6. **\*Biometric Attendance Systems\***: Automated attendance systems using biometrics help eliminate fraudulent attendance practices ensuring accountability among railway staff.
7. **\*AI and Data Analytics for Audits\***: Advanced data analytics and AI tools are used to detect patterns of fraud or misconduct by analysing vast amounts of data, improving audit efficiency and pre-empting corrupt activities.

These technological measures help ensure that railway operations are more transparent, accountable, and resistant to corruption, leading to a more efficient and trustworthy system.

\*\*\*\*\*

**“He who fights corruption must  
have clean hands.”**



## रेल सेवा (आचरण) नियम, 1966

एस.के. भारती  
- मुस्तानि/लेखा

इसका वर्णन भारतीय रेल स्थापना संहिता भाग-1 के अपेंडिक्स -1 में है। यह नियम रेलवे सेवक पर 1966 से लागू है।

**आचरण नियम :-** कर्मचारियों को क्या-क्या करना है यह बहुत बड़ा क्षेत्र है इसमें क्या-क्या नहीं करना चाहिए, उसका वर्णन है अर्थात् नकारात्मक प्रभाव (negative effect) को दर्शाता है।

**आचरण नियम के उद्देश्य :-** क्या नहीं करना चाहिए जिससे रेल सेवक की गरिमा एवं रेलवे की गरिमा बनी रहे।

**आचरण नियम की आवश्यकता :-**

- (1) रेलवे सेवक की कार्यवाही और आचरण को विनियमित करने के लिए।
- (2) सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी है और नीतियों को लागू करती है।
- (3) समाज में रीति-रिवाज, परंपराएँ, मूल्य प्रतिबंध आवश्यक हैं।
- (4) लिखित/अलिखित आचार संहिता।
- (5) निजी जीवन में शालीनता और नैतिकता के कुछ मानक भी आवश्यक हैं।

**संक्षेप में कूल 26 नियम :-**

नियम - 1 संक्षिप्त शीर्षक

नियम - 2 परिभाषा

नियम - 3 सामान्य

नियम - 4 सरकारी संरक्षण प्राप्त कंपनी या फर्म में रेल सेवकों के निकट संबंधी का नियोजन

नियम - 5 राजनीति और चुनाव में भाग लेना

नियम - 6 रेल सेवकों द्वारा संघ बनाया जाना या संघों में शामिल होना

नियम - 7 प्रदर्शन

नियम - 8 प्रेस या अन्य मीडिया से संबंध

नियम - 9 सरकार की आलोचना

नियम - 10 समिति या किसी अन्य प्राधिकरण के समक्ष साक्ष्य

नियम - 11 आधिकारिक सूचना का संचार

नियम - 12 सदस्यता

नियम - 13 उपहार

नियम - 14 रेल सेवकों के सम्मान में सार्वजनिक प्रदर्शन

नियम - 15 निजी व्यापार या रोजगार

नियम - 16 निवेश उधार

नियम - 17 दिवाला और आदतन ऋणग्रस्तता

नियम - 18 चल, अचल और मूल्यवान संपत्ति

नियम - 19 रेल सेवकों की कृत्यों और चरित्र की पुष्टि

नियम – 20 गैर आधिकारिक या अन्य प्रभाव का प्रचार

नियम – 21 विवाह के संबंध में प्रावधान

नियम – 22 नशीले पेय और नशीले पदार्थों का सेवन

नियम – 23 व्याख्या— राष्ट्रपति के पास शक्ति सुरक्षित

नियम – 24 शक्तियों का प्रत्यायोजन

नियम – 25 निरसन और बचत

नियम – 26 सभी प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की बाध्यता

### नियम 13:—उपहार

(1) रेलवे कर्मचारी की ओर से उसके या उसके परिवार के सदस्यों द्वारा उपहार स्वीकार नहीं किए जाएंगे (उपहारों में निःशुल्क परिवहन/बोर्डिंग/लॉजिंग या अन्य सेवाएं या अन्य आर्थिक लाभ शामिल हैं,) जो किसी नजदीकी रिश्तेदार या निजी मित्र के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रदान किए जाते हैं, जिनका सरकारी कर्मचारी के साथ कोई आधिकारिक लेन-देन नहीं है।

(2) विवाह समारोह, वर्षगांठ, अंतिम संस्कार और धार्मिक कार्यों में आधिकारिक लेन-देन से दूर रिश्तेदार/मित्रों से उपहार स्वीकार कर सकते हैं। यदि यह निम्नलिखित सीमाओं से अधिक है तो सूचित करें:—

रु. 25000/- गुप 'ए' अधिकारी

रु. 15000/- गुप 'बी' अधिकारी

रु. 7500/- समूह 'सी' कर्मचारी

(3) किसी भी अन्य मामले में कोई उपहार स्वीकार नहीं किया जाएगा यदि मूल्य निम्नलिखित सीमाओं से अधिक हो

रु. 5000/- गुप 'ए' और 'बी' अधिकारी

रु. 2000/- समूह 'सी' और 'डी' कर्मचारी

**नियम-18 :-** चल एवं अचल सम्पत्ति (3)(1)(ii) सेवा से संबंधित गुप ए या गुप बी या कोई पद धारण करने वाला प्रत्येक रेलवे कर्मचारी ऐसे फॉर्म में वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा जैसा कि सरकार द्वारा इस संबंध में निर्धारित किया गया है, जिसमें उसके द्वारा विरासत में प्राप्त या उसके स्वामित्व में या उसके द्वारा धारित अचल संपत्ति के बारे में पूर्ण विवरण दिया जाएगा।

(3)(2) कोई भी रेल सेवक, सरकार के पूर्व जानकारी के बिना, किसी भी अचल संपत्ति को पट्टे, बंधक, खरीद या बिक्री द्वारा अधिग्रहित या बेच नहीं सकती है।

(3)(3) जहां कोई रेल सेवक किस चल सम्पत्ति के संबंध में अपने नाम से या अपने कुटुम्ब के किसी सदस्य के नाम से कोई संव्यवहार करता है वहां वह संव्यवहार की तारीख से एक मास के भीतर उसकी रिपोर्ट सरकार को देगा, यदि ऐसी सम्पत्ति का मूल्य रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक है।

### 2. उपनियम

(5) (क) आभूषण, ऐसी बीमा पॉलिसियां जिनका वार्षिक प्रीमियम रेल सेवक के दो मास के मूल वेतन से अधिक हो, शेयर, प्रतिभूतियां और डिबेन्चर" (ख) सरकारी कर्मचारी द्वारा दिए गए या लिए गए सभी ऋण, चाहे वे सुरक्षित हों या नहीं।

(ग) मोटर कार, मोटर साइकिल, घोड़े या परिवहन का कोई अन्य साधन तथा

(घ) रेफ्रिजरेटर, रेडियो, रेडियोग्राम और टेलीविजन सेट।

\*\*\*\*\*



## The world has enough for everyone's needs, but not enough for everyone's greed.- Mahatma Gandhi

अनादि प्रताप सिंह

— मुसतानि/यातायात

महात्मा गांधी का यह उद्धरण न केवल एक विचार है, बल्कि यह हमारे सामाजिक और आर्थिक ढांचे के प्रति एक गहरी समझ को भी प्रकट करता है। गांधीजी के इस कथन का विश्लेषण करने से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि कैसे मानवता की जरूरतें और लालच एक दूसरे के विपरीत हैं। यह बताता है कि दुनिया में हर किसी की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन हैं, लेकिन कुछ लोगों की लालच को संतुष्ट करने के लिए नहीं।

### आवश्यकता बनाम लालच—

आवश्यकता और लालच के बीच का अंतर समझना मानव जीवन की जटिलताओं को समझने में मदद करता है। ये दो अवधारणाएं न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सामाजिक और आर्थिक संरचना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

**आवश्यकता—** आवश्यकता वे चीजें हैं जो हमारे जीवन के लिए अनिवार्य हैं। इनमें शामिल हैं—भोजन, जल, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा। आवश्यकताएँ सीमित होती हैं और इन्हें पूरा करने के लिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग किया जा सकता है। जब इन आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाती है, तो यह समाज में संतुलन और स्थिरता बनाए रखता है।

**लालच—** लालच, इसके विपरीत, एक अंतहीन और असंतोषजनक भावना है। यह उस इच्छा का प्रतिनिधित्व करती है जो हमेशा अधिक पाने की चाहत रखती है। **लालच के कुछ मुख्य पहलू हैं :**

1. **अत्यधिक भौतिक संपत्ति :** अधिक धन, संपत्ति या भोग की इच्छा।
2. **संपत्ति का संग्रहण :** जरूरत से ज्यादा चीजों को जमा करना।
3. **संतोष का अभाव :** जो कुछ भी है, उसमें संतोष न होना।

लालच व्यक्ति को न केवल उसके व्यक्तिगत सुख से दूर कर देती है, बल्कि यह सामाजिक और नैतिक मूल्यों को भी कमजोर कर देती है।

आवश्यकता और लालच का यह द्वंद्व हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। जागरूकता के माध्यम से, हम इस अंतर को समझ सकते हैं और अपने निर्णयों को अधिक जिम्मेदार बना सकते हैं। जब हम सभी मिलकर अपनी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देते हैं और लालच पर नियंत्रण रखते हैं, तब हम एक संतुलित और न्यायसंगत समाज का निर्माण कर सकते हैं।

### पर्याप्तता और अभाव का विरोधाभास—

पर्याप्तता और अभाव दो ऐसी अवधारणाएँ हैं जो मानवता के सामाजिक, आर्थिक, और पर्यावरणीय ढांचे को गहराई से प्रभावित करती हैं। ये दोनों स्थितियाँ एक-दूसरे के विपरीत होते हुए भी, एक-दूसरे से गहराई से जुड़ी हुई हैं। इस विरोधाभास को समझना आवश्यक है, ताकि हम अपने समाज और पर्यावरण को संतुलित रख सकें।

एक ओर, दुनिया में खाद्य, आश्रय और संसाधनों की पर्याप्तता है जो हर किसी की बुनियादी जरूरतों को पूरा कर सकती है। तकनीक, कृषि और बुनियादी ढांचे में प्रगति ने वैश्विक उत्पादकता बढ़ाई है, जिससे हर किसी की जरूरतों को पूरा करना संभव हो गया है। दूसरी ओर मनुष्य की धन एवं शक्ति की अनंत लालच ने एक ऐसी भूख पैदा की है जो कभी संतुष्ट नहीं हो सकती। यह लालच असमानता, शोषण और पर्यावरण विनाश को बढ़ावा देती है, जिससे कई लोगों को मूलभूत सुविधाओं से भी वंचित हो जाते हैं।

**प्राथमिकताओं का पुनर्मूल्यांकन—** हमें अपनी प्राथमिकताओं को फिर से विचार करना होगा :

1. सफलता को फिर से परिभाषित करें : सफलता को सिर्फ धन से नहीं, बल्कि सुख, संतुष्टि और सामाजिक प्रभाव से मापें।
2. सहानुभूति को बढ़ावा दें : हर व्यक्ति की मूल्य और गरिमा को पहचानें।
3. स्थायी जीवनशैली को अपनाएं : पर्यावरण के अनुकूल तरीके से जीवन जीने का प्रयास करें।
4. समानता की वकालत करें : नीतियों का समर्थन करें जो संसाधनों की समानता सुनिश्चित करती हैं।

**एक कॉल टू एक्शन—**हमें एक ऐसी दुनिया बनानी होगी जहाँ :

1. सभी की बुनियादी जरूरतें पूरी हों।
2. लालच की जगह सहानुभूति और संतुष्टि ले।
3. सबकी गरिमा एवं सुख सुनिश्चित कर सकते हैं।
4. अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रख सकते हैं।

**विचार करने योग्य प्रश्न —**

1. आपके लिए पर्याप्त क्या है?
2. आप जरूरत और इच्छा के बीच कैसे भेद करते हैं?
3. क्या आप एक ऐसी दुनिया की कल्पना कर सकते हैं जहां हर किसी की जरूरतें पूरी हों?

**निष्कर्ष—**

महात्मा गांधी का यह उद्धरण हमें इस बात की ओर प्रेरित करता है कि हम अपनी जरूरतों को समझें और लालच पर नियंत्रण रखें। जब हम सभी एक साथ मिलकर काम करते हैं, अपनी जरूरतों को प्राथमिकता देते हैं, और लालच से दूर रहते हैं, तब ही हम सच्चे अर्थों में गांधीजी के इस विचार को साकार कर सकते हैं। यह विचार हमें एक बेहतर दुनिया की ओर अग्रसर होने के लिए प्रेरित करता है, जहां सभी की आवश्यकताएँ पूरी हों, और लालच के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।

\*\*\*\*\*



## भ्रष्टाचार का सूत्रपात्र

पवन कुमार श्रीवास्तव

— मुसतानि/विद्युत

भ्रष्टाचार का सूत्रपात्र एक ऐसा विषय है जो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। यह एक सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समस्या है, जो सरकारी और निजी संस्थानों में व्याप्त है। भ्रष्टाचार के मुख्य कारणों में नैतिक गिरावट, जवाबदेही की कमी, और पारदर्शिता का अभाव शामिल हैं। जब लोग व्यक्तिगत लाभ के लिए नियमों और कानूनों का उल्लंघन करते हैं, तब समाज में असमानता और अन्याय बढ़ता है।

भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम व्यापक होते हैं। यह विकास में बाधा डालता है, सरकारी योजनाओं का सही ढंग से कार्यान्वयन नहीं होने देता और गरीबों के लिए संसाधनों की उपलब्धता को सीमित करता है। इससे नागरिकों का विश्वास सरकार और संस्थानों पर कम होता है।

भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रभावी उपायों की आवश्यकता है, जैसे पारदर्शिता बढ़ाना, जन जागरूकता फैलाना, और सख्त कानूनों का निर्माण करना। नागरिकों को भी सक्रिय भूमिका निभानी होगी, ताकि वे अपने अधिकारों के लिए आवाज उठा सकें। अंततः, भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सामूहिक प्रयास से ही हम एक स्वच्छ और न्यायपूर्ण समाज की दिशा में बढ़ सकते हैं।

**भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए निम्नलिखित उपाय प्रभावी हो सकते हैं:**

**पारदर्शिता बढ़ाना:** सरकारी प्रक्रियाओं और निर्णयों में पारदर्शिता लाना आवश्यक है। इससे जनता को जानकारी मिलेगी और भ्रष्टाचार के अवसर कम होंगे।

**सख्त कानून और नियम:** भ्रष्टाचार के खिलाफ कठोर कानून बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने से इसे रोकने में मदद मिलेगी। दंडित करने की प्रक्रिया को तेज करना भी जरूरी है।

**जन जागरूकता:** लोगों में भ्रष्टाचार के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियानों का आयोजन करें। शिक्षा और मीडिया के माध्यम से इस विषय पर चर्चा करने से लोग इसकी गंभीरता को समझ सकेंगे।

**समानता सुनिश्चित करना:** सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान करना और सामाजिक न्याय की स्थापना करना आवश्यक है। इससे कमजोर वर्गों का शोषण कम होगा।

**सूचना का अधिकार:** सूचना का अधिकार (RTI) कानून को मजबूत बनाना, ताकि नागरिक सरकारी कार्यों की जानकारी प्राप्त कर सकें और जिम्मेदारी तय कर सकें।

**आधुनिक तकनीक का उपयोग:** ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके सरकारी सेवाओं को अधिक सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना।

**सामाजिक निगरानी:** नागरिक समाज और गैर सरकारी संगठनों को भ्रष्टाचार की निगरानी करने और रिपोर्ट करने के लिए प्रोत्साहित करना।

इन उपायों के माध्यम से भ्रष्टाचार को कम किया जा सकता है और एक स्वच्छ और जिम्मेदार समाज की स्थापना की जा सकती है।

“भ्रष्टाचार की जड़ें गहरी, सच्चाई को खा जाती है,  
न्याय की किरणें दूँढ़ें, जब उम्मीदें मुरझाती हैं।  
समानता की राह पर चलें, मिलकर हम एक धुन हो,  
स्वच्छ समाज का सपना सजाए, हर दिल में हो जुनून हो।”



## भ्रष्टाचार से निपटने में प्रौद्योगिकी की भूमिका

निशांत परमार

— मुस्तानि/यातायात

भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए वर्षों के प्रयासों के बाद, चाहे नीतिगत हस्तक्षेप के माध्यम से या सामाजिक आंदोलनों के माध्यम से, यह हमारे दैनिक जीवन में व्याप्त है। कुछ हाई-प्रोफाइल घोटाले और धोखाधड़ी समय-समय पर सुर्खियों में आए रहते हैं, लेकिन हर जगह हम जिस छोटे-मोटे भ्रष्टाचार का सामना करते हैं, वह इतना सामान्य हो गया है कि भारत में यह शायद ही किसी खबर के लायक हो। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा हाल ही में किए गए एक अध्ययन के अनुसार भारत में रिश्वतखोरी की दर 39% है और व्यक्तिगत संबंधों का उपयोग करने वाले नागरिक 46% हैं। सर्वेक्षण किए गए 17 एशियाई देशों में यह सबसे अधिक था।

छोटे-मोटे भ्रष्टाचार जैसे अपराध के छोटे परिमाण के बावजूद, इसे नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। ये रोजमर्रा की भ्रष्ट प्रथाएँ ही बुनियादी सार्वजनिक सेवाओं की डिलीवरी को बाधित करती हैं, जिन पर देश के सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा निर्भर हैं। यह विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में बाधा डालता है, अंततः आर्थिक विकास को प्रभावित करता है, और शासन और लोकतंत्र को कमजोर करता है। हालाँकि, नई तकनीकों के उभरने के साथ, भ्रष्टाचार को संबोधित करने की नई उम्मीदें जगी हैं।

आम जनता के बीच जानकारी की कमी अक्सर छोटे-मोटे नवाचारों का मुख्य स्रोत होती है। सार्वजनिक सेवाओं तक पहुँचने की प्रक्रिया में लेन-देन की लागत को कम करके, जिसमें सूचना तक पहुँचने की लागत भी शामिल है, बातचीत को सुविधाजनक बनाने के लिए संस्थाएँ मौजूद हैं। हालाँकि, प्रणालीगत भ्रष्टाचार संस्थाओं को उन कार्यों को करने में अक्षम बनाता है। यहीं पर तकनीक काम आ सकती है। इसने व्यवसायों और उपयोगकर्ताओं दोनों के लिए सूचना तक पहुँच में सुधार करके और इस तरह स्व-नियमन तंत्र को मजबूत करके बाजार की बातचीत में लेन-देन की लागत को काफी हद तक कम कर दिया है। यह सार्वजनिक सेवाओं के मामले में भी काम आ सकता है। अगर नागरिकों को प्रक्रियाओं और उनके अधिकारों के बारे में अधिक जानकारी होगी, तो वे सरकारों को जवाबदेह ठहराने में सक्षम होंगे।

कुछ साल पहले तक, सीमित पहुँच के कारण तकनीक बहुत मददगार नहीं होती थी, लेकिन अब स्मार्ट फोन और इंटरनेट का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रहा है। इसलिए, एक तरीका जिससे संस्थान इसका उपयोग कर सकते हैं, वह है सार्वजनिक सेवाओं के बारे में जानकारी को एक बटन के स्पर्श पर सुलभ बनाना। सेवाओं और विकास योजनाओं के बारे में अधिक पारदर्शिता बनाने से नागरिकों को अपने स्थानीय अधिकारियों से सवाल करने और उन्हें जवाबदेह ठहराने का अधिकार मिलेगा। इसके अलावा, संस्थान अखंडता प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए तकनीकी नवाचारों में भी निवेश कर सकते हैं। डेटा एक अपरिहार्य उपकरण बन रहा है, जिसका उपयोग प्रणालियों और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बनाने के लिए किया जा सकता है।

भ्रष्टाचार को कम करने का एक और तरीका है नौकरशाही प्रक्रियाओं को स्वचालित करना। बोझिल प्रक्रियाएँ रिश्वत माँगने के लिए प्रोत्साहन पैदा करती हैं, लेकिन स्वचालन व्यक्तियों और सार्वजनिक अधिकारियों के बीच शारीरिक संपर्क को समाप्त कर सकता है, जिससे इस तरह के किसी भी लेन-देन के लिए कोई जगह नहीं बचती। भारत सरकार की प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण ढ़क्कड़ योजनाएँ इस बात का एक प्रमुख उदाहरण हैं कि प्रक्रियाओं के स्वचालन से लालफीताशाही और भ्रष्टाचार कैसे कम हो सकता है। लाभार्थियों के जन धन योजना बैंक खातों में नकद लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण के माध्यम से, विकास योजनाओं ने बिचौलियों की भूमिका और विस्तार से भ्रष्ट गतिविधियों के अवसरों को समाप्त कर दिया। 351 डीबीटी आधारित योजनाओं ने 1.70 लाख करोड़ रुपये को बिचौलियों के हाथों में जाने से बचाया।



डीबीटी योजनाएं जनधन-आधार-मोबाइल की 'जेएएम ट्रिनिटी' के आधार पर काम करती हैं, जिसमें आधार- प्रत्येक नागरिक को प्रदान की जाने वाली एक विशिष्ट डिजिटल आईडी – लाभार्थियों की पहचान को कारगर बनाने और फर्जी लाभार्थियों को खत्म करने में सक्षम बनाती है, जिससे भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी का जोखिम कम होता है।

डिजिटलीकरण ने पहले ही कई विकास कार्यक्रमों के कार्यान्वयन और सार्वजनिक सेवाओं के प्रावधान में बहुत बड़ा बदलाव किया है, इसलिए छोटे-मोटे भ्रष्टाचार से निपटने के लिए अगला कदम डिजिटल उपकरणों के उपयोग में सुधार करना होना चाहिए। मोबाइल और इंटरनेट के साथ-साथ डिजिटल साक्षरता तक पहुंच को और बढ़ाया जा सकता है। प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के कौशल के बिना, नागरिक केवल इसकी उपलब्धता से लाभ नहीं उठा सकते हैं, जो अक्सर ग्रामीण भारत में होता है। वास्तव में, ऐसी सूचना विषमता भ्रष्टाचार के नए अवसरों को जन्म दे सकती है, जिससे प्रौद्योगिकी भ्रष्टाचार के लिए प्रतिकूल हो सकती है।

\*\*\*\*\*



## रेलयात्रा

सुनील कुमार सिंह  
– मुसतानि/यातायात

एक दिन हम भारी भीड़ भरी  
भारतीय रेल में चढ़े  
कई कन्धो पर धरकर  
भीतर सरकाए गए।  
भीड़ का ये हाल था  
मत पूछिए कमाल था  
सीट पर भी आदमी थे।  
और तो और छत पर भी आदमी थे  
वो तो रेल वालो ने  
उससे ऊपर कोई जगह नहीं बनाई  
वरना आदमी वहां भी होते भाई।

\*\*\*\*\*





## सत्पथ

अनामिका सिंह

— वरिष्ठ अनुवादक/राजभाषा विभाग, मुख्यालय

डगर—डगर यह हवा चली है  
धन अर्जन की होड़ लगी है  
दौलत मिले, शोहरत मिले  
जन—बल मिले, महल सजे  
हम ही रहें, चाहे सब छूटे  
बस मेरा ही धन—कुबेर बड़े।

साधन की कोई बात नहीं है  
बस, साध्य हमारा सधा रहे  
पद की शोभा, गरिमा की  
फिर कोई बात नहीं है  
मंजिल मेरी, पथ जो हो  
लोभ लालसा की भूख मिटे।

ईमान की बात न पूछो  
भौतिकता में सब चलता है  
रिश्वत से मन बढ़ता है  
तृष्णा की फिर तृप्ति से  
सुख वैभव का भ्रम होता है  
कोष भी भरता रहता है।

जन्म लेते शिशु रोता है  
जग छूटे तन जलता है  
तड़पना तेरा रुकता कब है  
चंद दिनों के जीवन का  
हंस अकेला उड़ जाता है  
कर्म—फल ही रह जाता है।

मत भूल, प्रकृति का नियम है  
सुकर्म है करता, सत्पथ चलता  
वही अमर सदा रह जाता है  
शेष यहीं धरा रह जाता है  
गीता वचन अमिट रहता है  
जीवन सत्य यही कहता है।



सतर्कता विभाग  
पूर्वाञ्चल रेलवे



हर सोच शुचिता की ओर

सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024

सत्यनिष्ठा की संस्कृति  
से राष्ट्र की समृद्धि



उठो, जागो और तब तक मत रुको,  
जब तक राष्ट्र समृद्ध ना हो जाये

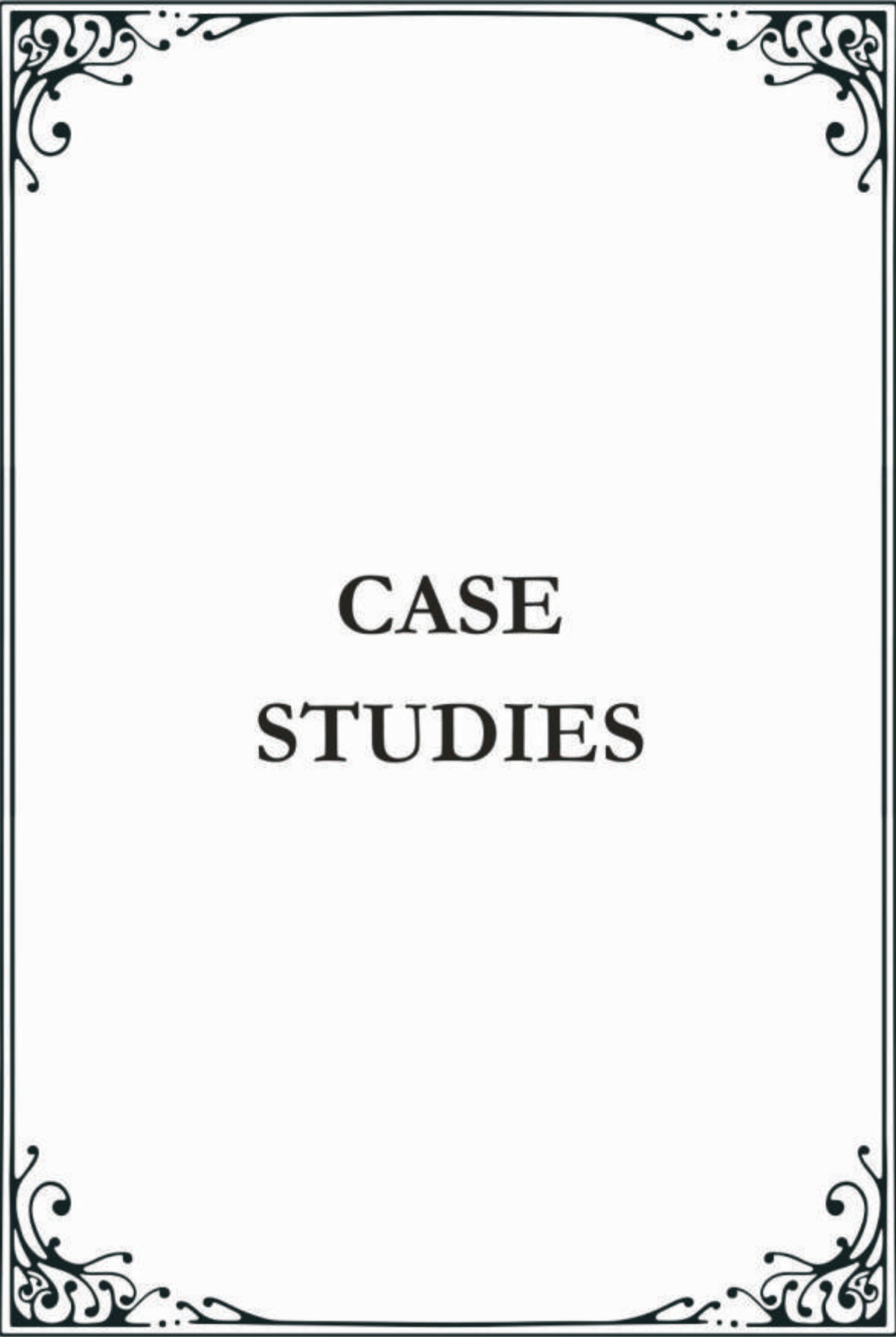
परिवाद हेतु  
सतर्कता हेल्पलाइन

**139**  
पर कॉल करें



अधिक जानकारी के  
लिए इस QR code  
को स्कैन करें





# **CASE STUDIES**





## निविदा प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जांच में पायी गयी अनियमितताएं

अमय कुमार सिंह  
मुसतानि/यांत्रिक

एक यांत्रिक कारखाना में बाह्य एजेंसी द्वारा कराये जाने हेतु की गयी निविदा प्रक्रिया को संज्ञान में लेकर की गयी सतर्कता जांच में निम्न कमियां पायी गयी :

- उक्त निविदा की अनुमानित लागत 50 लाख से कम होने की स्थिति में अगल से Mandatory clause का प्रावधान किया जाना पाया गया परन्तु निविदा दस्तावेज में उक्त Mandatory clause को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना नहीं पाया गया एवं Mandatory clause को निविदा में सम्मिलित करने का उद्देश्य का उल्लेख किया जाना नहीं पाया गया।
- टेंडर कमेटी द्वारा सफल निविदाकार के आफर को technical suitability देते समय फर्म द्वारा Mandatory clause के अनुपालन हेतु संलग्न traceability certificate के संबंध में कोई detailed remark/discussion (proof of traceability validity of certificate etc-) किया जाना नहीं पाया गया।
- निविदा में सफल निविदाकार के प्रतिनिधि द्वारा पार्टनर के रोल में Annexure&V (Format for certificate) पर attorney/ authorized signatory के रूप में हस्ताक्षर किया जाना पाया गया। परन्तु फर्म द्वारा GCC-2022 (PART-I), Annexure – I, Second Sheet के मद सं- 14, 15 व 18 में संबंधित दस्तावेज को निविदा ऑफर के साथ संलग्न किया जाना नहीं पाया गया। टेंडर कमेटी द्वारा Annexure-V पर फर्म प्रतिनिधि के नाम- प्रमोद पांडेय के साथ लिखे गये पार्टनर शब्द पर ध्यान नहीं दिये जाने के कारण उपरोक्त दस्तावेजों की अनुपलब्धता में भी फर्म के ऑफर को स्वीकृति हेतु संस्तुत किये जाने के कारण उक्त फर्म के पक्ष में टेंडर अवार्ड किया जाना पाया गया। उक्त अनियमितताओं हेतु सतर्कता विभाग द्वारा निम्न सुझाव दिए गए:-
- निविदा में Mandatory clause को रखे जाने संबंधी औचित्य को विस्तृत रूप से उल्लिखित किया जाना चाहिए एवं Mandatory clause को निविदा में स्पष्ट रूप से वर्णित किया जाना चाहिए।
- टेंडर कमेटी द्वारा निविदाकार फर्मों द्वारा दिये गये eligibility संबंधी प्रपत्रों के वैधता के विषय में स्पष्ट रिमार्क दिया जाना चाहिए।
- टेंडर कमेटी द्वारा निविदाकार फर्मों द्वारा टेंडर के साथ जमा किये जाने वाले सभी प्रपत्रों की सघनता से जांच हेतु सर्व संबंधित को निर्देशित किया जाए। GCC-2022 (Part-I), Annexure-I, Second Sheet के मद सं- 14 (i) के अनुपालन में निविदा में constitution of firm संबंधित उचित फॉर्मट संलग्न किया जाए, जिससे यह clearly specify हो सके कि निविदाकार द्वारा किसके (proprietary firm or others) behalf पर tender submit किया गया है एवं फर्म का constitution सुनिश्चित किया जा सके।

उक्त कमियों के लिए जिम्मेदार officials के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु एक System Improvement की अनुशंसा भी की गयी।

\*\*\*\*\*



## “ मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा की जा रही अनियमितता ”

जैनेन्द्र कुमार भट्ट

– मुसतानि/यातायात

दिनांक 16/04/2024 को पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में स्थित स्टेशन A के आरक्षण/बुकिंग कार्यालय के सतर्कता निवारक जांच के क्रम में पाया गया कि स्टेशन A पर कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक के द्वारा एक योजना बनाकर सरकारी धन का दुर्विनियोजन किया जा रहा था। जिसका विवरण निम्न है।

1. जांच में पाया गया कि स्टेशन A के बुकिंग काउंटर पर कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा दिनांक 01.04.24, 04.04.24, 07.04.24, 09.04.24, 13.04.24, 14.04.24 तथा 15.04.24 को उस दिन के कुल सरकारी धन में से क्रमशः रु 440, रु 2295, रु 570, रु 1200, रु 3860, रु 1550, तथा रु 4355 सरकारी धन निकाल कर अपने पास रख लिया गया था तथा उतने रुपये को DTC Book में S-R लिखते हुये उतना कम रेलवे राजस्व वाणिज्य अधीक्षक को दिया गया था। वाणिज्य अधीक्षक द्वारा भी सरकारी धन से निकाले हुये उतने रुपये को घटाकर उस दिन का कुल रेलवे आय प्रदर्शित करते हुए बैंक को भेज दिया गया था। सतर्कता जांच के उपरान्त वाणिज्य अधीक्षक द्वारा मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा निकाले हुये कुल सरकारी धन रु 14270 को स्टेशन A के बैलेंस शीट में मुख्य वाणिज्य लिपिक के नाम से OUT STANDING में डाल दिया गया है। इस प्रकार A स्टेशन के मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा दिनांक 01.04.2024 से दिनांक 15.04.2024 के बीच में विभिन्न तिथियों में सरकारी धन रु 14270 के दुर्विनियोजन का मामला पाया गया।
2. जांच के क्रम में यह पाया गया कि A स्टेशन के बुकिंग काउंटर पर कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा जनवरी 2024 के विभिन्न तिथियों में सरकारी धन से क्रमशः 1490, रु 2010, रु 10175, रु 1065, रु 1500, रु 1055, रु 300, कुल रु 17595 एवं फरवरी 2024 में सरकारी धन से रु 1490 तथा मार्च 2024 के विभिन्न तिथियों में सरकारी धन से क्रमशः रु 660, रु 1700, रु 1115, रु 2540, रु 915 रु 14965 कुल रु 20980 निकाल कर अपने पास रखते हुये उतने रुपये को DTC Book में S-R लिखते हुये उतना कम रेलवे राजस्व वाणिज्य अधीक्षक को दिया गया था। वाणिज्य अधीक्षक द्वारा भी सरकारी धन से निकाले हुये उतने रुपये को घटाकर उस दिन का कुल रेलवे आय प्रदर्शित करते हुए बैंक को भेज दिया गया था। इस प्रकार स्टेशन A के मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा माह जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 में कुल सरकारी धन रु 40065 के दुर्विनियोजन का मामला पाया गया।
3. जांच में यह भी पाया गया कि जनवरी 2024, फरवरी 2024, मार्च 2024 माह के अंत में जब कार्यरत मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा निकाले हुए सरकारी धन को वाणिज्य अधीक्षक को दिया जाता था तो उनके द्वारा उस पैसे को जोड़ते हुए उस दिन की कुल रेलवे राजस्व से अधिक रेलवे आय प्रदर्शित करते हुए बैंक को भेज दिया जाता था। इस कारण इनके द्वारा स्टेशन A का बनाए हुए उस महीने के BALANCE SHEET में कोई OUT STANDING प्रदर्शित नहीं होता था जिस कारण यह अनियमिता प्रकाश में नहीं आती थी।
4. मुख्य वाणिज्य लिपिक द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत विभिन्न तिथियों में सरकारी धन से पैसा निकाला जा रहा था एवं उस पैसे का उपयोग उनके द्वारा अपने व्यक्तिगत अन्य कार्य में खर्च किया जा रहा था एवं महीने के अन्त में उस पैसे को लाकर वाणिज्य अधीक्षक को दे दिया जाता था। वाणिज्य अधीक्षक द्वारा भी उस पैसे को लेकर जमाकर कर दिया जाता था जिस कारण उस महीने के बैलेंस शीट में यह अनियमित प्रकाश में नहीं आती थी।
5. वाणिज्य अधीक्षक द्वारा भी यदि नियमानुसार कार्य किया गया होता तो इस प्रकार के अनियमितता पर अंकुश लगाया जा सकता था।
6. स्टेशन A के वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके तथा योजना बनाकर रेलवे राजस्व का दुर्विनियोजन किया जा रहा था।

इस प्रकार उपरोक्त जांच में अनियमितता पाए जाने के पश्चात तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है।



## SYSTEM IMPROVEMENT IN GeM TENDERS

**Satyendra Nath Singh**

Chief Vigilance Inspector / Store

In a preventive check of a GeM tender case for procurement of goods in the BSB division, it is found that the GeM bid was published with an excessive past performance requirement of 80% without recording any reasons, which is considered to be restrictive as per RB Letter No. 2022/RS(G)/709/4-dated 28.12.2022. It is also found that there was no self contained note of the tender accepting authority in the tender file. Therefore, suitable System Improvements related to uniformity in past performance requirements & self contained note of purchase officer were issued. These system improvements are as under:

1. In all GeM tender cases for the procurement of goods, the past performance requirement should generally follow the 20% norm with following criteria.

Past Performance "The Bidder or its OEM (themselves or through reseller(s)) should have supplied same or similar category products for 20% of bid quantity, in at least one of the last three financial years before the bid opening date to any Central/State Govt Organization/PSU. Copies of relevant contracts (proving supply of cumulative order quantity in any one financial year) to be submitted along with bid in support of quantity supplied in the relevant financial year. In case of bunch bids, the category related to the primary product having highest bid value should meet this criterion".

2. In case any deviation is considered necessary and unavoidable to this norm, the reason for the same should be recorded in detail and approval of authority not below SAG should be taken (ADRM in case of divisions, CWM (in SAG) in case of Workshop Store Depots and CMM in HQ
3. A self-contained acceptance note of purchase officer should invariably be documented in the tender file. This note should clearly bring out the reasons for tender decisions

In addition to above , it is further found that the item procured was reserved exclusively for purchase from MSEs in terms of RB Letter No. 2010/RS(G)/363/1 dated 05/07/2012. However, this was not explicitly mentioned in the bid, which could result in awarding the contract to a non-MSE firm. Therefore it was advised that the tenders invited for procurement of items reserved exclusively for MSEs should clearly indicate so in the tender eligibility criteria.

\*\*\*\*\*



## बुकिंग कार्यालय के कर्मचारियों द्वारा रेल राजस्व के गबन का योजनाबद्ध प्रयास

अनादि प्रताप सिंह

— मुसतानि/यातायात

एक स्रोत सूचना के आधार पर पूर्वोत्तर रेलवे के एक मण्डल के एक बुकिंग कार्यालय एवं उससे सम्बद्ध हाल्ट स्टेशन की सतर्कता निवारक जांच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये—

1. बुकिंग कार्यालय के UTS रोल वितरण रजिस्टर में UTS रोल के इस्तेमाल करने में continuity नहीं मिली।
2. UTS रोल वितरण रजिस्टर में पाया गया कि एक टिकट रोल के सभी 500 टिकटों का प्रयोग यूजर X द्वारा दिनांक 15.03.2024 को ही शुरू करके दिनांक 15.03.2024 को ही समाप्त कर दिया गया था।
3. UTS DTC के अनुसार यूजर X द्वारा दिनांक 15.03.2024 को समय 22/21 से 23/45 तक सेशन लॉगिन करके कुल 856 टिकट निर्गत किये गए। उक्त 856 टिकटों में से 500 उसी टिकट रोल के ही थे। उल्लेखनीय है कि यूजर X द्वारा दिनांक 15.03.2024 को 14-20 की शिफ्ट में अपनी ड्यूटी सम्पादित की जा चुकी थी।
4. उक्त स्टेशन से सम्बद्ध हाल्टों को जारी हुए टिकटों के विवरण से यह स्पष्ट हुआ कि यूजर X द्वारा उस टिकट रोल के समस्त टिकटों को स्टेशन से सम्बद्ध दो हाल्ट स्टेशनों के पक्ष में जारी किया गया था।
5. उन में से एक हाल्ट अभिकर्ता ने इस सम्बन्ध में पूछताछ करने पर बताया कि "दिनांक 15.03.2024 को रात में समय 22/30 पर मेरे पास सम्बद्ध स्टेशन पर पदस्थापित बुकिंग कर्मचारियों का फोन आया और मुझे स्टेशन पर बुलाया गया। मेरे हाल्ट को जारी हुए रु. 10 मूल्य के 200 टिकट तथा एक अन्य हाल्ट स्टेशन के अभिकर्ता के पक्ष में रु. 10 मूल्य के 300 टिकट सादे पेपर पर प्रिंट करवा दिए गए। मेरे पूछने पर बुकिंग कर्मचारियों द्वारा बताया गया कि टिकट रोल गायब हो गया है और तुमको जारी हुए इन टिकटों का तुमको कोई पैसा नहीं देना वो हम लोग भर देंगे।"
6. यूजर X से पूछने पर उन्होंने सर्वप्रथम इस घटना से अनभिज्ञता दिखाई परन्तु जब उनका सम्मुखीकरण हाल्ट अभिकर्ता से कराया गया तब उन्होंने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि "दिनांक 14.03.2024 को उन्हें पता चला कि एक UTS टिकट रोल मिल नहीं रहा है और यह रोल कहीं गायब हो गया है। इसकी सूचना वाणिज्य अधीक्षक एवं कार्यालय में पदस्थापित एक अन्य बुकिंग कर्मचारी को दी गई। विचार विमर्श के बाद हम सभी इस निष्कर्ष पर आये कि इस घटना की रिपोर्टिंग करने पर स्टेशन के सभी कर्मचारियों के ऊपर कार्यवाही हो जाएगी। इससे बचने के लिए सभी ने मिलकर इसकी योजना बनाई एवं दिनांक 15.03.2024 को समय 22/21 से 23/45 के बीच सेशन लॉगिन करके को उक्त टिकट रोल के समस्त टिकटों को स्टेशन से सम्बद्ध 2 हाल्ट अभिकर्ताओं के पक्ष में सादे कागज पर प्रिंट करके सिस्टम में उपयोग में लाया हुआ दिखा दिया गया।"
7. सभी 500 टिकटों पर रु. 10 के टिकट जारी किये गए जिनका मूल्य रु. 5000 यूजर X ने अपने पास से रेल राजस्व में जमा किया।
8. इस प्रकार उक्त स्टेशन के वाणिज्य कर्मचारियों द्वारा मिलीभगत करके तथा योजना बनाकर रेल राजस्व के गबन करने का प्रयास किया गया।
9. सतर्कता संगठन द्वारा सभी तीनों आरोपित कर्मचारियों को दीर्घदण्ड देने के साथ-2 उक्त टिकट रोल के मूल्य की नियमानुसार गणना करके उसकी रिकवरी आरोपित कर्मचारियों से करवाने हेतु अनुशंसा की गई है। मण्डल द्वारा उक्त टिकट रोल के मूल्य की गणना कराकर उक्त टिकट रोल का मूल्य रु. 11,10,000 बताया गया है।

\*\*\*\*\*



## IREPS पोर्टल के माध्यम से दो पैकेट प्रणाली के तहत आमंत्रित निविदाओं के निस्तारण में अनियमितता

राम मोहन सिंह

– मुख्य सतर्कता निरीक्षक/इंजी.

एक सतर्कता जांच के क्रम में यह संज्ञान में आया है कि पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में Two Packets System के माध्यम से आमंत्रित की गई दो निविदाओं में टेक्निकल बिड के निस्तारण में यह संज्ञान में नहीं लिया गया कि इन निविदाओं में भाग लेने वाले दो निविदाकारों द्वारा जमा किये गये Document Verification Certificate निर्धारित प्रोफार्मा में नहीं भरे गए थे जबकि इन दोनों निविदाओं में GCC-2022 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत, सभी निविदाकारों को Document Verification Certificate को निर्धारित प्रोफार्मा में भरकर जमा किया जाना एक अनिवार्य योग्यता शर्त थी। निविदा समिति द्वारा इन निविदाकारों के टेक्निकल ऑफर को उचित मानते हुए उनके फाइनेंशियल ऑफर को खोलने की संस्तुति की गई एवं निविदा स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। फाइनेंशियल बिड खोले जाने के उपरांत Document Verification Certificate पर चर्चा करते हुए इन दोनों निविदाकारों के ऑफर को संज्ञान में नहीं लिया गया है। GCC-2022 में दिए गए प्रावधानों के अनुसार, Two Packet System of Tendering में फाइनेंशियल बिड में केवल उन्हीं निविदाकारों के फाइनेंशियल ऑफर खोले जाते हैं, जिनकी टेक्निकल बिड को योग्य पाया जाता है एवं टेक्निकल बिड में निविदा में निर्धारित पात्रता/अर्हता मानदंडों को पूर्ण करने हेतु निविदाकारों द्वारा ऑफर के साथ जमा किये गये समस्त प्रपत्रों को संज्ञान में लिया जाता है। अतः किसी निविदा में फर्म की फाइनेंशियल बिड को खोले जाने की संस्तुति एवं स्वीकृति से पूर्व टेक्निकल बिड में संबंधित निविदा समिति एवं स्वीकृत कर्ता प्राधिकारी द्वारा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि केवल उन्हीं निविदाकार फर्मों के फाइनेंशियल बिड को खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जो निविदा में निर्धारित सभी पात्रता शर्तों को पूर्ण करती हों एवं जिनके द्वारा Document Verification Certificate से संबंधित मान्य प्रमाण पत्र को जमा किया गया है। जूव च्चामजै लेजमउ माध्यम से आमंत्रित निविदाओं में फाइनेंशियल बिड को खोले जाने के उपरांत इन प्रपत्रों पर चर्चा किया जाना प्रक्रियात्मक रूप से उचित नहीं माना जा सकता है एवं यह Two Packet System की मूल प्रकृति में विचलन को प्रदर्शित करता है।

इसके साथ ही उपरोक्त निविदाओं के निस्तारण किये जाते समय निविदा समिति द्वारा निविदाकार फर्म द्वारा जमा किए गए प्रपत्रों पर मंडल विधि विभाग से विधिक राय मांगी गई थी एवं मंडल विधि विभाग द्वारा दी गयी विधिक राय के अनुसार, इन प्रपत्रों में कोई लीगल इश्यू नहीं था एवं निविदा समिति को GCC-2022 में दिए गए प्रावधानों के आधार पर निर्णय ले सकती है। परन्तु मंडल विधि विभाग की उक्त विधिक राय उचित नहीं थी क्योंकि इस जांच के क्रम में मंडल विधि विभाग द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि उक्त निविदाकार फर्म द्वारा जमा किए गए प्रपत्र त्रुटिपूर्ण एवं मान्य नहीं थे एवं जमा किए गए इन प्रपत्रों के अमान्य होने के कारण उक्त निविदा का आवंटन निविदाकार फर्म के पक्ष में नहीं किया जाना चाहिए। इसके संबंध में वरिष्ठ विधि अधिकारी, पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर द्वारा अपने अधीनस्थ सभी मंडल विधि इकाइयों को यह निर्देश जारी किया गया है कि निविदा संबंधी मामलों में स्पष्ट रूप से विधिक राय दी जाए एवं यदि निविदाकार फर्म के प्रपत्रों के अवलोकन करने पर यह प्रतीत होता है कि इस संबंध में कोई भी विधिक राय नहीं दिया जाता है तब स्पष्ट रूप से यह उल्लेख किया जाये कि इस पर मंडल विधि विभाग द्वारा कोई भी विधिक राय नहीं दी गई है।

उपरोक्त प्रक्रियात्मक त्रुटियों के दृष्टिगत उपरोक्त के संबंध में महाप्रबंधक/इंजीनियरिंग के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-W/68/Vig-/Confidential/Part-II/W-3G दिनांक-21.02.2024 एवं महाप्रबंधक/विधि के कार्यालय द्वारा पत्र संख्या-Z/78/विधि/विविध/गोपनीय/2024 दिनांक-15.02.2024 के माध्यम से आवश्यक पद्धति सुधार जारी किए गए हैं।

\*\*\*\*\*



## S&T कार्यों के अंतर्गत Cable Laying Record से सम्बंधित प्राप्त अनियमितता

सूर्य प्रताप सिंह  
– मुसतानि/सि एवं दू.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक मंडल में गेट इंटरलॉकिंग कार्य के निष्पादन की सतर्कता जांच के दौरान उचित Cable Laying Record नहीं पाया गया। सतर्कता जांच के दौरान यह पाया गया कि कार्य से संबंधित रजिस्टर पर रेलवे कर्मचारी और ठेकेदार या उनके प्रतिनिधि के हस्ताक्षर नहीं थे। रजिस्टर में ट्रेंचिंग, ट्रेंचलेस (एचडीडी) और केबल बिछाने के लिए कुल मात्रा दर्ज की गई, लेकिन इन मात्राओं को कैसे निर्धारित किया गया, इसका विवरण नहीं था। उक्त कमी के लिए जिम्मेदार पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी। साथ ही भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु सतर्कता विभाग के संस्तुति के उपरांत केबल लेइंग के लिए निम्न प्रारूप को अपनाने की पद्धति सुधार की अनुशंसा PCSTE कार्यालय द्वारा जारी किया गया –

| Sr. No. | Type of Cable | Cable Drum No. | From (Location) | To (Location) | Length of Trench/HDD | Initial Reading of cable drum | Final Reading of cable drum | Length of Cable laying | Circuit |
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|
|---------|---------------|----------------|-----------------|---------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------|------------------------|---------|

ठेकेदार को Cable Laying के भुगतान के लिए उक्त रिकॉर्ड का होना आवश्यक है। उक्त रिकॉर्ड के आधार पर ही ठेकेदार को Cable Laying का भुगतान किया जाना चाहिए।

\*\*\*\*\*





## किसी मद का तीन या तीन से कम approved vendor होने पर क्रयादेश जारी करने की प्रक्रिया के सम्बंध में सतर्कता जांच

विनोद चंद्र यादव  
मुसतानि/भण्डार

एक सतर्कता जांच में पाया गया कि निविदा जो कि RDSO Approved मद के लिए आमंत्रित की गयी थी, का निर्णय लेने में स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा रेलवे बोर्ड के पत्र सं०-2001/ RS(G)/779/7/Pt-2(1) dated 06.11.2018 में अंकित निम्न बिन्दुओं पर चर्चा नहीं किया गया-

1. **Past Performance**- जांच में पाया गया कि निविदा में भाग लेने वाली L-1 प्रतिष्ठान (developmental vendor) द्वारा आंफर में प्रतिष्ठान के पक्ष में अन्य रेलवे से जारी क्रयादेश का विवरण संलग्न किया गया था, जिसके अनुसार अन्य रेलवे ने प्रतिष्ठान के पक्ष में निविदा की कुल मात्रा का क्रयादेश जारी किया गया था। निविदा में स्वीकृत प्राधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान के Past Performance पर चर्चा किये बिना निर्णय लिया गया।
2. **Capacity**- जांच में पाया गया कि RDSO Vendor Directory के अनुसार L-1 प्रतिष्ठान की उत्पादन क्षमता 15984000 नम्बर की थी। प्रतिष्ठान को developmental approved vendor से approved vendor में उच्चिकृत होने के लिए रेलवे में 250000 नग सामग्री रेलवे में आपूर्ति करनी थी। प्रतिष्ठान द्वारा संलग्न प्रपत्र के अनुसार 195677 नग सामग्री का क्रयादेश रेलवे से प्राप्त कर चुका था। निविदा की मात्र 6500 नग थी, जो प्रतिष्ठान की क्षमता से काफी कम थी।
3. **Delivery Requirements**- जांच में पाया गया कि निविदा के निविदा प्रपत्र के अनुसार सामग्री के आपूर्ति की आवश्यकता 3 महीने में थी। L-4 approved vendor ने आंफर में आपूर्ति तिथि का Deviation कोट किया गया था, जबकि L-1 developmental approved vendor ने कोई Deviation कोट नहीं किया था।
4. **Quantity under Procurement**- जांच में पाया गया कि निविदा की मात्रा 6500 सेट थी जो कि developmental approved vendor के क्षमता से काफी कम थी।
5. **Nature of Item**- जांच में पाया गया कि निविदा की सामग्री के nature का भी संज्ञान नहीं लिया गया, जो कि Non-Safety मद थी।

उपरोक्त के आधार पर रेलवे बोर्ड का पत्र सं०-2001/ RS(G)/779/7/Pt-2(1) dated 06.11.2018 के अनुसार निविदा में उक्त बिन्दुओं पर चर्चा करते हुए developmental vendor के पक्ष में निविदा की कुल मात्रा का Regular क्रयादेश जारी किया जा सकता था। इससे रेल राजस्व की बचत होती साथ ही approved vendor द्वारा आंफर किये जा रहे अत्यधिक रेट पर रोक लगायी जा सकती थी। जाँच में जिम्मेदार के विरुद्ध प्रशासनिक कार्यवाही की अनुशंसा किया गया।

\*\*\*\*\*

## एक अनुबंध के अंतर्गत लोहे के ग़िल कार्य का वास्तविक कार्य से अधिक वजन का भुगतान किया जाना

अतुल कुमार श्रीवास्तव  
— मुसतानि/इंजी.

एक सतर्कता जांच में एक अनुबंध के अंतर्गत पाया गया कि कार्य में निर्माण किये गए ड्रेन को पूरी लम्बाई में ड्रेन कवर (लोहे के ग़िल) से ढका जाना था। जिसका भुगतान हेतु संबंधित सी.से.इंजी. द्वारा DSR के मद संख्या 9.48.2 @ रु 183.50/- per Kg के अंतर्गत मापी पुस्तिका में दर्ज किया गया। इस जांच में सी.से.इंजी. द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज ड्रेन कवर (लोहे के ग़िल) का औसत वजन, सतर्कता जांच में ड्रेन कवर (लोहे के ग़िल) के औसत वजन से 1.825 kg अधिक पायी गयी हैं। संबंधित सी.से.इंजी. द्वारा अपने स्पष्टीकरण में बताया की ड्रेन कवर (लोहे के ग़िल) का वजन धर्म कांटा पर इनके समक्ष कराया गया एवं धर्म कांटा के रसीद के द्वारा इनके द्वारा मापी पुस्तिका में दर्ज करके भुगतान किया गया है। जिसमें 150 नग ड्रेन कवर का वजन क्रमशः 4380kg, 4320kg, 4350kg एवं 4395kg है। संबंधित सी.से.इंजी. द्वारा मापी पुस्तिका में इंगित करते समय करते समय 150 नग ड्रेन कवर का औसत क्रमशः 29.20 kg, 28.80 kg, 29.00 kg एवं 29.30 kg को इंगित किया गया परन्तु किसी एक ड्रेन कवर का अलग से वजन नहीं किया गया है। संबंधित सी.से.इंजी. द्वारा इस अनुबंध अंतर्गत ड्रेन कवरो (लोहे के ग़िल) कार्य का भुगतान किये जाने के लिए इन ड्रेन कवरो (लोहे के ग़िल) वजन जिस धर्म कांटे से कराया गया वह जांच में खराब पाया गया एवं इसकी पुष्टि भी नहीं हुई है कि पूर्व में लिये गये वजन के समय यह धर्मकांटा कार्यरत था। इस धर्मकांटा द्वारा जारी की गयी रसीदों का भी सत्यापन संबंधित दुकान के प्रतिनिधि द्वारा मना कर दिया गया।

यदि संबंधित सी.से.इंजी. द्वारा ड्रेन कवर का अलग-अलग से वजन किया गया होता या तो ड्रेन कवर (लोहे के ग़िल) के वजन में अंतर का आकलन किया जा सकता था। जांच के दौरान ड्रेन कवर (लोहे के ग़िल) के भार में कमी प्रदर्शित होती हैं। सभी ड्रेन कवर का वजन पुनः कराये जाने पर यह पुष्टि हुई है कि इन ड्रेन कवरो में 813.29 किग्रा का अधिक भुगतान किया गया है जोकि इस मद में रुपये 1,49,238.72/- का अतिरिक्त भुगतान किया जाना प्रदर्शित करता है।

इस प्रकार उपरोक्त जांच में अनियमितता पाये जाने के पश्चात तथा इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए संबंधित कर्मचारी के विरुद्ध अनुसूचनात्मक कार्यवाही किये जाने की अनुशंसा की गयी है।

\*\*\*\*\*



## आरक्षण लिपिक एवं STBA/सहायक द्वारा तत्काल आरक्षण में कारित अनियमितता

गिरिजेश प्रताप सिंह

— मुसतानि/यातायात

दिनांक 07.08.2024 को स्टेशन “क” स्थित आरक्षण कार्यालय में की गई सतर्कता निवारक जांच में आरक्षण लिपिक एवं STBA/सहायक द्वारा अपनी ड्यूटी के दौरान में निम्नलिखित अनियमितताएं कारित की गई—

1. स्लीपर श्रेणी का तत्काल आरक्षण हेतु लगी हुई पंक्ति में एक आवेदक खड़े हुए मिले। उक्त एक आवेदक के अतिरिक्त अन्य कोई भी आवेदक टिकट निर्गत करवाने हेतु उपस्थित नहीं था। स्लीपर श्रेणी का तत्काल आरक्षण शुरू होने के पूर्व यह देखा गया कि आरक्षण लिपिक के स्थान पर STBA/सहायक द्वारा तत्काल बनाया जा रहा था।
2. आरक्षण लिपिक एवं STBA/सहायक के मिली भगत द्वारा अपने सिस्टम पर टिकट तो जारी किया जा रहा था। परन्तु उस टिकट को प्रिंट करके आवेदकों को दिया नहीं जा रहा था। आरक्षण लिपिक से उनके द्वारा स्लीपर श्रेणी के तत्काल आरक्षण में जारी हुए टिकटों के बारे में पूछा गया तब उन्होंने बताया कि कुल तीन टिकट जारी हुए हैं। उनसे प्रिंटर ऑन करके सभी जारी हुए तीन टिकटों को प्रिंट करने के लिए कहा गया। तत्पश्चात आरक्षण लिपिक ने जारी हुए तीन टिकटों को एक साथ प्रिंट किया।
3. दो टिकट बिना आवेदकों के तथा इसके अतिरिक्त चार टिकट और भी STBA/सहायक की अभिरक्षा में मिले जिनके सापेक्ष कोई आवेदक उपस्थित नहीं था।
4. इस प्रकार आरक्षण लिपिक व STBA/सहायक द्वारा क्रम सं-1, के अलावा जारी किये गए अन्य दो टिकट उनके द्वारा आरक्षित टिकटों की दलाली के उद्देश्य से बिना किसी आवेदक के एवं बिना टिकट का मूल्य लिए बिना जारी किये गए थे। इसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु उन्होंने टिकट जारी करते समय अपना प्रिंटर बंद कर दिया था ताकि सामने पंक्ति में खड़े आवेदकों को कितने व किसके लिए टिकट जारी हुए हैं यह पता न चले और इसी लिए आरक्षण लिपिक व STBA/सहायक ने क्रम सं-1 के बाद दलाली वाले टिकटों को जारी किया तथा पंक्ति में खड़े आवेदकों की प्राथमिकता को भी नजरअंदाज किया। आरक्षण लिपिक एवं STBA/सहायक ने बिना आवेदक के उपस्थित हुए एवं बिना टिकट का मूल्य रेल राजस्व में जमा किये ही ये दोनों टिकट जारी किये थे जो उनकी आरक्षित टिकटों की दलाली को पुष्ट करता है। किसी रेल सेवक द्वारा आरक्षित टिकटों की दलाली करना/करवाना रेल की छवि को धूमिल करता है।
5. जांच के क्रम में आरक्षण लिपिक के सरकारी धन में रु. 5965 की कमी मिली। इस प्रकार उनके द्वारा IRCM Vol 1 के पैरा 101 का उल्लंघन किया गया।
6. आरक्षण लिपिक को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किये जाने की अनुशंसा की गयी है।
7. STBA/सहायक के अलमारी से प्राप्त हुए दो टिकट व स्लीपर के जारी उसी दिन के दो टिकट तथा उसके पॉकेट से प्राप्त दो टिकट कुल 06 टिकटों जिसका मूल्य रु. 20000/-को दलाली का टिकट मानते हुए सिस्टम में फ्रीज कराया गया।
8. STBA/सहायक के अलमारी से टिकट के अलावा रु. 20432/- अवैध धन पाया गया जो टिकटों की दलाली करके लिया गया था। उक्त अवैध धन को रेल राजस्व में जमा कराया गया।
9. STBA/सहायक के सरकारी धन में रु. 430/-की वृद्धि पायी गयी। जिसे रेल राजस्व में जमा कराया गया।
10. STBA/सहायक को अवैध टिकटों के कारोबार में संलिप्तता पाये जाने पर RPF/ASI को अग्रिम कार्यवाही के लिए सुपुर्द किया गया।

## बारबेड वायर फेंसिंग कार्य की जांच मे पायी गयी अनियमितता

अरुन कुमार श्रीवास्तव  
मुसतानि/इंजी.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक सेक्शन में ट्रैक के दोनों तरफ अवांक्षित आवागमन के रोकथाम के लिए 7100 मी० बारबेड वायर फेंसिंग का कार्य अनुबंध के अंतर्गत एन.एस.मद के स्वीकृत के पश्चात कराया गया है तथा इसका भुगतान कर दिया गया है। इस फेंसिंग कार्य मे 2.3 मीटर तक के प्रीकास्ट आर.सी.सी पोस्ट के साथ 1.6 मीटर ऊंची फेंसिंग का कार्य कराया जाना है। इस कार्य में 1:2:4 सीमेंट कंक्रीट के फाउंडेशन (फाउंडेशन साइज : 0.35 X 0.35 X 0.50 मी) में प्रीकास्ट आर.सी.सी पोस्ट को फिक्स किया जाना है। इस प्रीकास्ट आर.सी.सी. पोस्ट की साइज 0.1X0.1X2.5 मी. होगी। दो आर.सी.सी. पोस्ट के बीच दो मीटर की दूरी रखी जानी है तथा इनके मध्य G-I- Barbed wire की पांच Horizontal लाइन तथा दो diagonals लाइन लगाई जानी है। सतर्कता जांच मे स्थल पर फेंसिंग मे आर.सी.सी. पोस्ट के फाउंडेशन की साइज व इसमे प्रयोग की गयी सीमेंट कंक्रीट की मात्रा कम पाई गयी। तीन स्थलों पर फाउंडेशन की जांच की गयी जिसमे एन.एस. मद के अनुसार आर.सी.सी. पोस्ट के फाउंडेशन का आयतन 0.061 घनमी. (साइज: 0.35 X 0.35 X 0.50 घनमी) के स्थान पर क्रमशः 0.038 घनमी., 0.042 घनमी. तथा 0.039 घनमी. पायी गयी। इन तीनों आर.सी.सी. पोस्ट का फाउंडेशन एन.एस. में दिए गये साइज से कम साइज का बनाया गया है तथा इनमे सी.सी. की कम मात्रा प्रयोग की गयी है। इसी प्रकार एन.एस. मद के अनुसार, फेंसिंग मे आर.सी.सी. पोस्टों के मध्य 9.38 किग्रा प्रति 100 मी० वजन का Barbed Wire प्रयोग किया जाना है। स्थल पर आर.सी.सी. पोस्टों के मध्य लगाए गए Barbed Wire के वजन की जांच की गयी, जिसमे पाया गया कि स्थल पर 7.940 किग्रा प्रति 100 मी० वजन का Barbed Wire लगाया गया है। उपरोक्त जांच में अनियमितता पाए जाने के पश्चात, इस कार्य से संबंधित सीनियर सेक्शन इंजीनियर के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गयी है।

\*\*\*\*\*



## ट्रेनों में On Board स्टाफ के ID कार्ड में पायी गयी अनियमितताएं

अभय कुमार सिंह  
मुख्यानि/यांत्रिक

पूर्वोत्तर रेलवे की ट्रेनों में OnBoard स्टाफ के ID कार्ड की जांच में निम्न कमियां पायी गयी :-

1. एक मण्डल के OnBoard Linen Distribution (OBLD) स्टाफ के ID card पर NORTH EASTERN RAILWAY व भारतीय रेलवे का लोगो प्रिन्टेड पाया गया।
2. पूर्वोत्तर रेलवे के विभिन्न कोचिंग डिपो द्वारा Onboard staff (OBLD एवं OBHS स्टाफ) के ID card हेतु भिन्न-भिन्न फॉर्मेट का प्रयोग किया जाना पाया गया। कई कोचिंग डिपो द्वारा जारी ID card पर करारनामा से संबंधित विवरण (करारनामा सं., अवधि) उपलब्ध नहीं पाया गया।
3. जांच में वाराणसी तथा इज्जतनगर मंडल के करारनामा में OBHS स्टाफ के द्वारा घोषित निजी धन की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया जाना पाया गया तथा सभी मंडलों में वलस्व स्टाफ के द्वारा घोषित निजी धन की अधिकतम सीमा का निर्धारण नहीं किया जाना पाया गया।
4. जांच में वाराणसी तथा इज्जतनगर मंडल के OBHS तथा OBLD स्टाफ के पास घोषित निजी धन से अधिक पाये जाने की स्थिति में फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी कटौती का प्रावधान करारनामा में नहीं पाया गया।  
उक्त अनियमितताओं हेतु सतर्कता विभाग द्वारा निम्न सुझाव दिए गए:-
1. रेलवे बोर्ड के पत्र सं. 2023/EnHM/26/02/System Improvement, Dated : 20.09.2023 के अनुसार OBHS स्टाफ को जारी किये जाने वाले ID card पर logo of Indian Railways or State Emblem अथवा "Railway" शब्द का प्रयोग नहीं किये जाने के संबंध में निर्देशित किया गया है परन्तु OBLD स्टाफ के ID card के संबंध में रेलवे बोर्ड द्वारा कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किया गया है।  
OBHS तथा OBLD स्टाफ को जारी किये जाने वाले ID card पर रेलवे से संबंधित संकेत (जैसे: logo of Indian Railways or State Emblem vFkok "Railway" शब्द का प्रयोग इत्यादी) होने की दशा में OnBoard स्टाफ द्वारा उक्त ID card के प्रयोग से रेल यात्रियों को प्रभावित कर अनुचित लाभ लिये जाने की संभावना है। अतः OnBoard स्टाफ के ID card पर रेलवे से संबंधित संकेत का प्रयोग नहीं किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है एवं उक्त का उल्लंघन होने पर फर्म के विरुद्ध पेनाल्टी का प्रावधान करारनामा में किये जाने की आवश्यकता है।
2. पूर्वोत्तर रेलवे में Onboard staff को जारी किये जाने वाले ID card में एकरूपता लाने हेतु टेम्पलर डॉक्यूमेंट में ID card का एक निर्धारित format संलग्न किये जाने की आवश्यकता है जिसमें कर्मचारी के व्यक्तिगत विवरण के अतिरिक्त करारनामा से संबंधित विवरण (करारनामा सं., अवधि) इत्यादी का विवरण अंकित रहे।
3. Onboard (OBHS – OBLD) स्टाफ द्वारा यात्रा प्रारम्भ के समय घोषित निजी धन की अधिकतम सीमा निर्धारण किये जाने की आवश्यकता है। Onboard स्टाफ के द्वारा घोषित निजी धन से अधिक पाये जाने की स्थिति में फर्म के विरुद्ध deterrent पेनाल्टी कटौती का प्रावधान करारनामा में किये जाने की आवश्यकता है।
4. इस प्रकार की अनियमितता (जैसे-घोषित निजी धन से अधिक धन पाया जाना, यात्री के साथ money transaction में लिप्त होना, Onboard स्टाफ हेतु निर्धारित इमतजी पर अनाधिकृत व्यक्तियों को यात्रा कराना) में संलिप्त Defaulting Onboard staff (OBLD एवं OBHS स्टाफ) का जोनल स्तर पर डाटाबेस बनाया जाने तथा उपरोक्त Defaulting staff को Onboard Train Services के कार्य में प्रयुक्त नहीं किये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये जाने की आवश्यकता है।  
भविष्य में इस प्रकार की अनियमितता को रोकने हेतु एक System Improvement की अनुशंसा सतर्कता विभाग द्वारा की गयी।

## रेल पथ अनुरक्षण कार्य में प्राप्त अनियमितताएं

संतोष त्रिपाठी

– मुख्य सतर्कता निरीक्षक/इंजी.

पूर्वोत्तर रेलवे के एक अनुभाग में सीनियर सेक्शन इंजीनियर/रेल पथ के अधीन एक एजेंसी द्वारा एक अनुबंध के अंतर्गत रेल पथ के अनुरक्षण कार्य संपन्न कराया गया था एवं इसका भुगतान लॉग बुक के आधार पर किया गया है। इस अनुबंध के तहत कराए गए कार्यों की एक सतर्कता जांच में ज्ञात हुआ कि रेल पथ अनुरक्षण से संबंधित कार्य जैसे पेंटिंग ग्रीसिंग इत्यादि कार्य 3 महीने पूर्व से कराया जा रहा था, परंतु इसे लॉग बुक में दर्ज नहीं किया गया, जबकि इसे प्रतिदिन कार्य समाप्ति के उपरांत लॉग बुक में दर्ज किया जाना चाहिए। सतर्कता जांच के उपरांत संबंधित अनुभाग द्वारा कार्य समाप्ति के लगभग 03 महीने पश्चात लॉग बुक में दर्ज कर उक्त कार्य का भुगतान किया गया, जो कि अनियमितता को प्रदर्शित करता है।

इस जांच में प्राप्त हुई अनियमितताओं के क्रम में संबंधित जूनियर इंजीनियर/सीनियर सेक्शन इंजीनियर/ रेल पथ के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा की गई है एवं संबंधित मंडल को उपरोक्त के क्रम में अनियमितता को रोकने हेतु रजिस्टर/लॉग बुक को समयबद्ध तरीके से मेंटेन करने हेतु पत्र लिखा गया है।

\*\*\*\*\*



**सतर्कता विभाग**  
पूर्वोत्तर रेलवे



हर सोच शुचिता की ओर

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024**

**सत्यनिष्ठा की संस्कृति  
से राष्ट्र की समृद्धि**



## बुकिंग लिपिक द्वारा कारित अनियमितता

निशांत परमार

— मुसतानि/यातायात

एक स्रोत सूचना के आधार पर स्टेशन "क" स्थित बुकिंग कार्यालय में कर्मचारी "ख" द्वारा किये जा रहे ओवरचार्जिंग के शिकायत के सम्बन्ध में की गयी सतर्कता निवारक जाँच में निम्नलिखित तथ्य प्रकाश में आये —

1. बुकिंग काउंटर पर कार्यरत कर्मचारी द्वारा यात्रियों से की जा रही ओवरचार्जिंग की सूचना पर की गयी सतर्कता निवारक जाँच में पाया गया कि कर्मचारी "ख" द्वारा यात्रियों से प्रति टिकट 15 रुपये की ओवरचार्जिंग की जा रही है। उक्त के सम्बन्ध में काउंटर से टिकट लिए यात्री ने अपने बयान में स्वीकृति भी दी है।
2. कर्मचारी "ख" के काउंटर में रखे सरकारी धन की जाँच में रु 44035 प्रस्तुत किया गया जबकि ITC के अनुसार यह धन रु 44455 होना चाहिए था। इस प्रकार इनके सरकारी धन में रु 420 की कमी पायी गयी। सम्भावना बनती है कि उनके द्वारा ओवरचार्जिंग किये गए धन को बीच बीच में कही छुपा या हटा दिया जाता हो। कर्मचारी "ख" के द्वारा किया गया यह कृत्य IRCM के VOL 1 के पैरा 101 के अलोक में सही नहीं है।
3. बुकिंग कार्यालय में अनुरक्षित ड्यूटी रोस्टर की संवीक्षा में पाया गया कि ड्यूटी रोस्टर में कई जगहों पर whitener का इस्तेमाल कर ड्यूटी को बदला गया है। कर्मचारी "ख" की ड्यूटी एक ऐसे रोटेशन में करवाई जा रही है जिसमें लम्बी दूरी की साप्ताहिक गाड़ी हो। कही-कही उक्त वर्णित रोटेशन में दूसरे कर्मचारी की ड्यूटी भी कर्मचारी "ख" द्वारा अंतिम क्षण में बदली गयी है। ड्यूटी बदलने के सम्बन्ध में स्टेशन "क" के इंचार्ज कर्मचारी "ग" के द्वारा पूछने पर बताया गया कि कर्मचारी "ख" द्वारा खुद से ही बिना बताये ड्यूटी को बदला गया है। पिछले 6 महीने के ड्यूटी रोस्टर की संवीक्षा में उक्त अनियमितता को लगातार पाया जाना तथा स्टेशन "क" के इंचार्ज कर्मचारी "ग" के द्वारा पूछने पर यह बताया जाना कि कर्मचारी "ख" द्वारा खुद से ही बिना बताये ड्यूटी को बदला गया है, ड्यूटी रोस्टर की अनियमितता में इंचार्ज की मिलीभगत को प्रदर्शित करती है।
4. इस प्रकार उक्त स्टेशन "क" के कर्मचारी "ख" एवं इंचार्ज कर्मचारी "ग" द्वारा मिलीभगत करके धन उगाही करने का प्रयास किया जा रहा है।
5. सतर्कता संगठन द्वारा कर्मचारी "ख" को दीर्घदंड तथा कर्मचारी "ग" को लघुदंड देने की अनुशंसा की गयी है।

\*\*\*\*\*

"Be vigilant; guard your mind  
against negative thoughts"

-Gautama Buddha



## पूर्वात्तर रेलवे गोरखपुर के एक इकाई में संबंधित कर्मचारियों के बिना सहमति के निवेश विकल्प (पेंशन फंड मैनेजर) Tier-I में परिवर्तन किया जाना

एस0 के0 भारती  
मुसतानि/लेखा

रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या F(E/III/2003/PN1/24 दिनांक 31.12.2003 के द्वारा 1 जनवरी 2004 से रेलवे सेवाओं में शामिल होने वाले नए कर्मचारी को नई पेंशन प्रणाली द्वारा कवर किया जाएगा न की रेल सेवा (पेंशन) नियम 1993 और राज्य रेल भविष्य निधि नियमों के प्रावधान द्वारा कवर किया जाएगा। एन.पी.एस.से शासित होने वाले कर्मचारियों के मासिक अंशदान, उनके वेतन तथा महंगाई भत्ते का 10% होगा और केंद्र सरकार इसे समतुल्य करेगी। रेलवे बोर्ड के पत्र संख्या 2004/AC-II/21/1 दिनांक 04.04.2019 द्वारा केंद्र सरकार का मासिक अंशदान, कर्मचारियों के वेतन और महंगाई भत्ते का 14%, का प्रावधान किया गया। एन.पी.एस. में अंशदान को investment के लिए दो विकल्प Tier-I एवं Tier-II है। जिसमें Tier-I compulsory एवं Tier-II voluntary है।

सरकारी कर्मचारियों के अंशदान को Tier-I में investment के लिए विभिन्न Pension Fund Manager का विकल्प है, जो निम्न है :-

| Sr no | Name of the Pension Fund                                  | Sr no | Name of the Pension Fund                  |
|-------|-----------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|
| 1     | LIC pension fund limited                                  | 5     | Kotak Mahindra pension fund limited       |
| 2     | SBI pension fund private limited                          | 6     | HDFC pension management company limited   |
| 3     | UTI retirement solution limited                           |       |                                           |
| 4     | ICICI prudential pension funds management company limited | 7     | Birla Sun Life pension management limited |

रेलवे बोर्ड के पत्र सं 2016/AC-II/21/7 दिनांक 04.04.2019 में प्रावधान है कि एनपीएस (कर्मचारी/अभिदाता) अपने पेंशन निधि को एक वर्ष में एक बार अपने Pension Fund Manager, विकल्प को बदल सकते हैं।

कर्मचारियों के Scheme Preference Change Tier-I के Pension Fund Selection चुनाव हेतु प्रारूप Annexure GoS-S3 Central Recordkeeping Agency, NSDL द्वारा जारी किया है। जिसके लिए Central Recordkeeping Agency, NSDL द्वारा Processing of Scheme Preference Change Request एक Standard Operating Procedure (SOP) जारी हुआ है इसमें Scheme Preference Change Request के लिए दो विकल्प दिया है:-

- (I) **By login online into the CRA system:-** subscribers may also raise an online request in the CRA system for changing the scheme preference- This request will be an OTP based request and hence] it is imperative that the subscribers Mobile number is registered with CRA- The request initiated online by the subscriber is self&authorized and authorisation by Nodal office is not required in the CRA system-
  - (II) **Through physical form:-** The subscriber will have an option to submit a physical scheme preference change request form to the associated Nodal office- The subscriber is required to download form GOS-S3 (request for screen preference change) from CRA website (www-npscra-nsdl-co- in) and submit the duly filled form to the associated Nodal office- The nodal office is required to capture the screen preference change request in the CRA system and capture the scheme preference change request in the CRA system-
- कार्मिक को दो NPS User Id आवंटित थी, जिसमें से किसी एक से as a Maker या as a Checker का कार्य किया जा सकता है तथा लेखा को दो NPS User Id आवंटित थी, जिसमें से किसी एक से as a Maker या as a Checker का कार्य किया जा सकता है।



पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक इकाई में एन.पी.एस. से शासित होने वाले कुल 1890 कर्मचारियों/अभिदाताओं के बिना सहमति के उनके निवेश विकल्प (पेंशन फंड मैनेजर) में परिवर्तन किया गया। सितंबर-2021 से अगस्त-2023 के बीच की अवधि में कार्मिक को आवंटित एक User Id से 2365, दूसरे User Id से 593 तथा 18 PRAN (कर्मचारियों के स्वयं) के निवेश विकल्प (पेंशन फंड मैनेजर) में परिवर्तन हेतु initiate किया गया। उक्त initiate हुए निवेश विकल्प (पेंशन फंड मैनेजर) परिवर्तन को कार्मिक के एक User Id से 09, दूसरे User Id से 2364 तथा लेखा को आवंटित User Id से 603 authorized किया गया। इस प्रकार से कुल 2958 PRAN, निवेश विकल्प (पेंशन फंड मैनेजर) को बिना सहमति के परिवर्तन किया गया। PFM परिवर्तन से पूर्व जमा सभी धनराशि को जिस PFM में परिवर्तन हुआ है उस PFM में सभी धनराशि स्थानांतरित हुआ होना पाया गया है। कार्मिक विभाग के डीलरों की NPS कार्यों की अज्ञानता/कार्यों में रुचि कम होने के कारण लेखा विभाग के डीलर पर निर्भर रहते थे अर्थात् कार्मिक विभाग के डीलर हमेशा अपना NPS User Id एवं उसके गोपनीय Password लेखा विभाग के डीलर से परिवर्तन कराते थे तथा NPS संबंधित कार्य भी कराते थे। अनुचित लाभ प्राप्त करके लेखा विभाग के डीलर द्वारा कार्मिक विभाग को आवंटित NPS User Id एवं उसके Password का दुरुपयोग करके स्वयं पीएफएम परिवर्तन किया गया तथा कार्मिक विभाग को आवंटित NPS User Id एवं उसके Password को बाहरी व्यक्ति को दिया गया। एक इकाई से दूसरे इकाई में स्थानांतरण के उपरांत भी पूर्व इकाई में लेखा विभाग को आवंटित NPS User Id एवं उसके Password का दुरुपयोग करके उनके द्वारा पीएफएम परिवर्तन किया गया। जिसके लिए लेखा विभाग डीलर को दीर्घ दंड की अनुशंसा की गयी। कार्मिक विभाग के दो डीलरों को आवंटित NPS User Id एवं उसके Password की गोपनीयता बनाए रखने में विफल रहे जिसके लिए उन्हें लघु दंड की अनुशंसा की गयी। भविष्य में PFM Tier-I में परिवर्तन संबंधित किसी भी प्रकार की अनियमितता से बचने के लिए निम्न बिंदुओं पर विचार करते हुए एक पद्धति सुधार जारी किये जाने की अनुशंसा की गयी/ जो निम्न है :-

1. PFM में किसी प्रकार का परिवर्तन, कर्मचारी/अभिदाता के उस परिवर्तन के निर्धारित प्रारूप पर आवेदन प्राप्त किये बिना नहीं किया जाना चाहिए।
2. प्रत्येक माह PFM में हुए परिवर्तन की Cross Checking, कर्मचारी द्वारा निर्धारित प्रारूप पर दिए गए परिवर्तन हेतु आवेदन से की जानी चाहिए तथा इसके लिए किसी कार्याधी को नामित किया जाना चाहिए तथा इसकी एक रिपोर्ट सक्षम अधिकारी को प्रत्येक माह प्रस्तुत की जानी चाहिए।
3. CRA System में प्रत्येक माह पेंशन फंड मैनेजर में हुए परिवर्तन का Exception Report Generate करने की सुविधा अधिकारी स्तर पर होनी चाहिए, जिससे संबंधित शाखा अधिकारी उस Report से अवगत हो सके तथा समय रहते उचित कार्रवाई कर सके।
4. जिन कर्मचारियों का CRA System में मो. नं. एवं ईमेल रजिस्टर्ड नहीं है उनका Registration, CRA System में अनिवार्य रूप से होना चाहिए एवं NPS में किसी प्रकार का परिवर्तन मो. नं. या ईमेल OTP आधारित आवश्यक रूप से Mandatory होना चाहिए।
5. ID's को OTP ऑथेंटिकेशन आधारित होना चाहिए अर्थात् जब भी लॉगिन किया जाये तब रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आये और उसको फीड करने के बाद NSDL का साइट ओपन हो।
6. संयुक्त प्रक्रिया आदेश के मद सं-04 में सुझाव दिए गए हैं कि- रेलवे में ड्राइंग अधिकारी (कार्यकारी) और संवितरण अधिकारी (लेखा) अलग-अलग होते हैं। अतः ड्राइंग अधिकारी द्वारा केवल Maker आईडी का उपयोग किया जाना चाहिए और लेखा विभागों द्वारा बैम्बामत आईडी का उपयोग किया जाना चाहिए। इसके लिए जरूरी है कि NSDL सिस्टम में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि Maker आईडी को किसी भी दशा में Checker आईडी हेतु

Permission System allow न करें तथा इसी प्रकार Checker आईडी को किसी भी दशा में Maker आईडी Permission System allow न करें ।

7. किसी भी दशा में एक वर्ष में एक से अधिक बार PFM परिवर्तन करने का विकल्प नहीं होना चाहिए जैसा कि CRA System के SOP में वर्णित है । System में ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि वह वर्ष में एक से अधिक बार PFM परिवर्तन को स्वीकार न करे ।
8. किसी डीलर का एक यूनिट से दूसरे यूनिट में स्थानांतरण होने, या एक ही यूनिट के दूसरे अनुभाग में परिवर्तन होने पर लिखित में ID – Password का Handing एवं Taking Over होना चाहिए एवं उक्त प्रक्रिया के उपरांत Password परिवर्तन (Change) किये जाने की प्रक्रिया बनाया जाना चाहिए ।
9. समय-समय पर कार्मिक विभाग/लेखा विभाग के डीलरों को नए-नए कार्यों की प्रशिक्षण दिए जाने की व्यवस्था किया जाना ।

\*\*\*\*\*



खुद में वो बदलाव लाइए जो  
आप दुनिया में देखना चाहते हैं।

—महात्मा गाँधी



## फर्जी विकलांगता प्रमाण पत्र के आधार पर दुगुनी दर से परिवहन भत्ता का भुगतान

सीमा शुक्ला  
— मुसतानि/कार्मिक

एक सतर्कता निवारक जाँच के दौरान एक कार्यालय में कार्यरत दो आशुलिपिक कर्मचारियों के विकलांगता प्रमाण पत्र की जाँच की गयी तथा पाया गया कि एक आशुलिपिक की दृष्टि विकलांगता ललित नारायण मिश्र रेलवे चिकित्सालय गोरखपुर द्वारा गठित बोर्ड द्वारा गलत पायी गयी है। यह कर्मचारी सामान्य कोटे से हिन्दी आशुलिपिक पद पर वर्ष 2006 में आर-आर-बी/गोरखपुर द्वारा नियुक्त हुआ था जबकि कर्मचारी मई 2016 से मार्च 2024 तक दिव्यांजनों को मिलनी वाली दुनी दर से परिवहन भत्ता का लाभ ले रहा था।

इसे संज्ञान में लेकर कर्मचारी को हुये कुल रुपये 2,02,526 (दो लाख दो हजार पाँच सौ छब्बीस रुपये) के अधिक भुतान की कटौती सुनिश्चित करायी गयी। इस अनियमितता हेतु जिम्मेदार एक महिला मुख्य कार्यालय अधीक्षक एवं एक वरिष्ठ लिपिक जो वर्ष 2016 में वेतन बिल का कार्य देख रहे थे, के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई हेतु लिखा गया।

\*\*\*\*\*



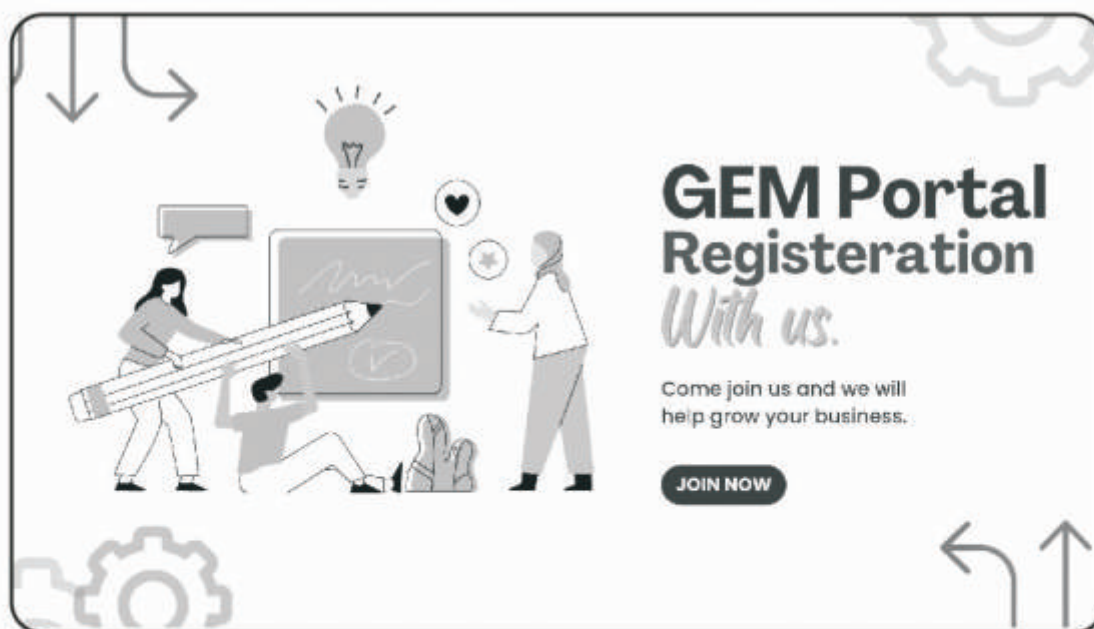
## जेंम पोर्टल

विनोद चंद्र यादव  
मुसतानि/भंडार

जेंम पोर्टल पर Direct L-1 Purchase करने के लिए एक समान मद के मांग पत्रों की मात्रा को नहीं जोड़ने और मनचाही फर्मों को अनुबंध देने के लिए सामग्री के पैरामीटर में बदलाव के सम्बंध में

एक सतर्कता जांच में पाया गया कि एक समान मद को खरीदने के लिए प्राप्त हो रहे अलग-अलग मांग पत्रों की मात्रा को Direct L-1 Purchase करने का विकल्प चुनने के लिए बिना जोड़े अलग-अलग खरीदा जा रहा था, जबकि मांग पत्र बहुत कम अन्तराल पर खरीद के लिए प्राप्त हुए थे। इस प्रकार Direct L-1 Purchase करने के लिए GFR-2017 के Rule-149 के नियमों का उल्लंघन किया पाया गया। जांच में क्रयादेश जारी करने के लिए rate reasonability देने में GFR-2017 के Rule-149 पैरा (vii) में वर्णित निर्देशों "The Government Buyers may ascertain the reasonableness of prices before placement of order using the Business Analytics tools available on GeM including the Last Purchase Price on GeM" का भी उल्लंघन किया पाया गया। जांच में पाया गया कि Direct L-1 Purchase के माध्यम से मनचाही फर्म के पक्ष में क्रयादेश जारी करने के लिए सामग्री के पैरामीटर में बदलाव किया गया। जांच में जिम्मेदार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की अनुशंसा किया गया।

\*\*\*\*\*





## पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक मंडल में वेतन एवं भत्ते के मद में अधिक भुगतान की वसूली

एस.के. भारती  
मुसतानि/लेखा

पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के एक मंडल में एक रेल सेवक को कुल 729 दिन का EOL (Extra Ordinary Leave) सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से स्वीकृत थी। उक्त EOL में से बाद में 304 दिन अध्ययन अवकाश (Study Leave) में परिवर्तित होकर स्वीकृत हुआ तथा शेष 425 दिन EOL (Extra Ordinary Leave) के रूप में स्वीकृत था। कुल 425 दिन EOL (Extra Ordinary Leave) के दौरान रेल सेवक को वेतन एवं भत्ते के मद में रु. 10,45,885/- का भुगतान हुआ था जबकि उक्त भुगतान देय नहीं था। उक्त रेलवे सेवक के पक्ष में कुल 425 दिन का EOL (Extra Ordinary Leave) स्वीकृत था, से संबंधित दस्तावेज कार्मिक विभाग के Cadre Clerk द्वारा संबंधित Bill Clerk को नहीं दिए जाने के कारण हुआ। EOL (Extra Ordinary Leave) समाप्त होने पर रेल में join करने पर संबंधित रेल सेवक के वेतन से रु. 95,000/- की वसूली हुई और शेष बची हुई धनराशि रु. 9,50,885/- को रेल सेवक द्वारा रेल कोष, गोरखपुर में स्वयं जमा किया गया। इस प्रकार से कुल रु. 10,45,885/- रेल राजस्व में जमा हुआ।

\*\*\*\*\*



भ्रष्टाचार बर्फ के गोले के सामान है,  
एक बार ये लुढ़कने लगता है तो बढ़ता ही जाता है  
(Charles Caleb Colton)

## गाड़ी में टिकट चेकिंग कर्मचारी द्वारा कारित अनियमितता

सुनील कुमार सिंह  
मुसतानि/यातायात

पूर्वोत्तर रेलवे सतर्कता संगठन को एक स्रोत सूचना प्राप्त हो रही थी टिकट चेकिंग कर्मचारियों के द्वारा अवैध तरीके से धन उगाही किया जा रहा है, इस आधार पर गाड़ी संख्या A एक्सप्रेस में B ज. रेलवे स्टेशन से C ज. रेलवे स्टेशन के मध्य की गयी सतर्कता निवारक जाँच –

गाड़ी संख्या A एक्सप्रेस में सतर्कता दल द्वारा टी.टी. बाबू को मौके पर ही रोक कर निजी धन एवं सरकारी धन की जांच की गयी। जांच के क्रम में टी.टी. बाबू द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा बी-1 से बी-4 एवं एस-1 को मानवित किया जा रहा था। टी.टी. बाबू द्वारा अपना निजी धनराशि सतर्कता दल के समक्ष रु 500 प्रस्तुत किया गया जो EFT एवं HMT के अनुसार सही पाया गया। टी.टी. बाबू द्वारा बताया गया कि उनका सरकारी धनराशि रुपया शून्य है EFT के अनुसार सही था।

सतर्कता जाँच के क्रम में टी.टी. बाबू द्वारा अपने कोट एवं पैन्ट के जेबो से कुल अघोषित धनराशि रुपया 7040 सतर्कता दल के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अघोषित धनराशि के सम्बन्ध में पूछताछ करने पर टी.टी. बाबू द्वारा कि गाड़ी को D स्टेशन तक लेकर आने वाले टी.टी. बाबू ने उन्हें रुपया 2500 देकर बताया कि कोच संख्या बी-4 के बर्थ संख्या 69, 72 एवं 31 पर जो यात्री E ज. से यात्रा करते हुए गाड़ी को D स्टेशन तक आये हैं उन्हें आप F ज. स्टेशन तक लेते जाईएगा। इस प्रकार रुपया 7040 में से रुपया 2500 उस अज्ञात टी.टी. बाबू द्वारा दिया गया धनराशि है और शेष रुपया 4540 वह अपने घर से दवा लेने हेतु लाये थे। उपरोक्त पूछताछ के बाद टी.टी. बाबू के EFT को टिकट संख्या C 924405 पर सतर्कता दल द्वारा ब्लाक कर दिया गया।

सतर्कता दल ने टी.टी. बाबू को साथ में ले कर कोच संख्या ए-1 से कोच संख्या बी-4 के बर्थ संख्या 69, 72 एवं 31 पर गया सर्व प्रथम सतर्कता दल द्वारा बर्थ संख्या 69 पर यात्रा कर रहे यात्री से टिकट दिखने के लिए कहा गया यात्री ने सतर्कता दल को बताया कि उक्त गाड़ी में वह बिना टिकट अपने ससुर पत्नी एवं साली के साथ F रेलवे स्टेशन पर कोच संख्या बी-4 में जल्दवाजी में चढ़ गए थे। पूछताछ के क्रम में यात्री द्वारा बताया गया कि E रेलवे स्टेशन से गाड़ी के चलने के बाद एक टी.टी. बाबू उनके पास आये और उन्होंने उनसे टिकट दिखने के लिए कहा फिर टी.टी. बाबू ने उस टी.टी. बाबू को बताये कि वे सभी लोग बिना टिकट है। तब उस टी.टी. बाबू ने उनसे कुल रुपया 9000 की मांग की गयी। लेकिन यात्री द्वारा उस टी.टी. बाबू से आग्रह करने पर टी.टी. यात्री से रुपया 6000 ले लिया गया एवं ली गयी राशि के एवज में उस टी.टी. द्वारा यात्री को बिना कोई रसीद जारी किये उन्हें बर्थ संख्या 31 पर जाकर बैठने के लिए कहा गया। फिर सतर्कता दल द्वारा यात्री को एवं उनके साथ यात्रा कर रहे शेष तीनो यात्रियों को चार्ज कर टिकट बनाने के लिए टी.टी. बाबू को कहा गया। फिर टी.टी. बाबू द्वारा उपरोक्त सभी बिना टिकट यात्रियों का E स्टेशन से F स्टेशन तक का 3 AC श्रेणी का कुल किराया रुपया 5880 बताते हुए केवल रुपया 3380 की मांग की गयी उस अज्ञात टी.टी. से ली गयी अवैध/अघोषित धनराशि रुपया 2500 को उसमें मिला कर सभी यात्रियों का टिकट EFT संख्या C 924406 पर मूल्य रुपया 5880 का टिकट जारी किया गया। शेष अवैध/अघोषित धनराशि रुपया 4540 को EFT संख्या C 924407 के रेलराजस्व में जमा का दिया गया। टी.टी. बाबू के मानवित कोचों की जांच की गयी कोई अनियमितता नहीं पाए जाने पर सतर्कता दल द्वारा टी.टी. बाबू के EFT को टिकट संख्या c 924408 पर रिलीज कर दिया गया।

\*\*\*\*\*

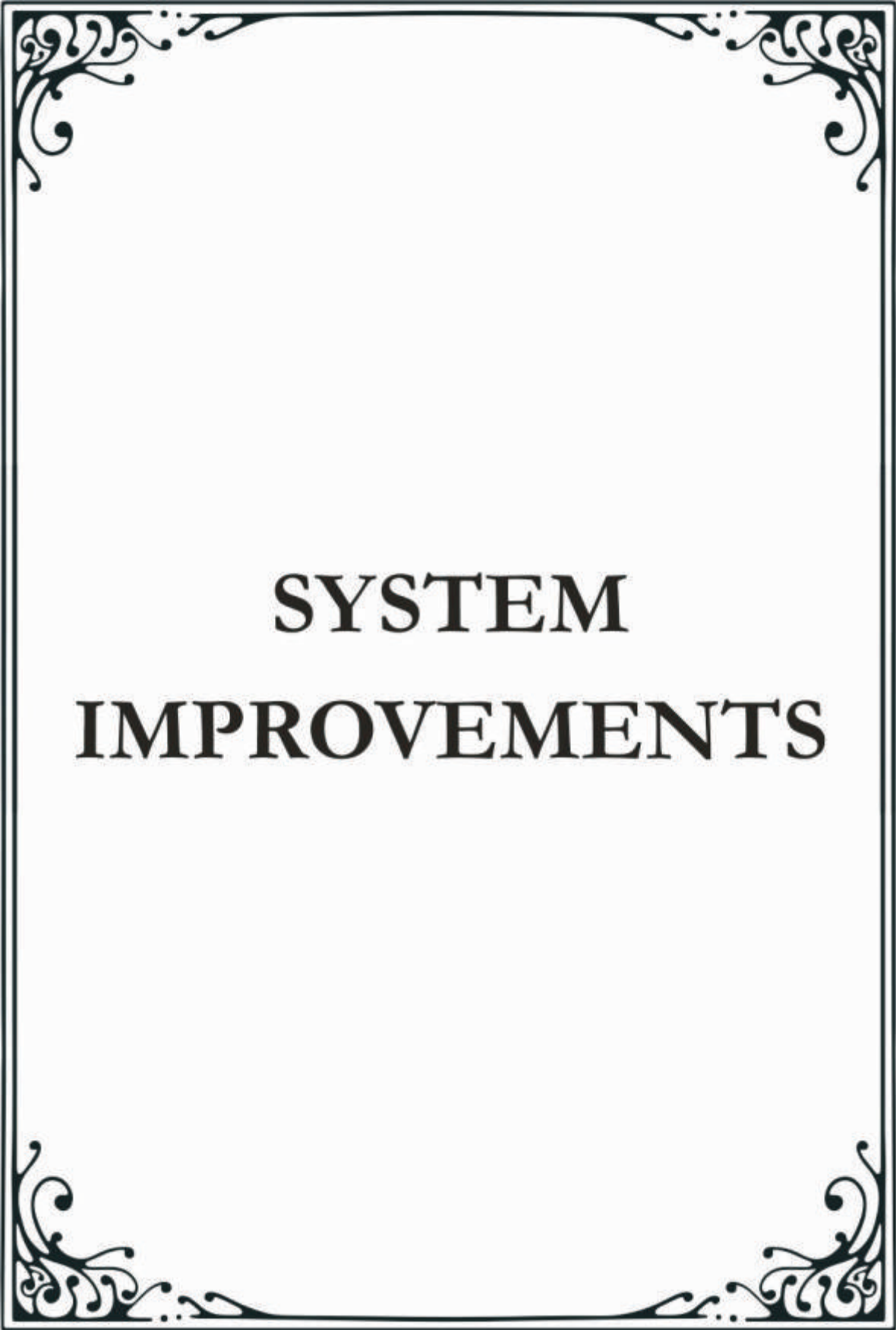


## आरक्षण लिपिक द्वारा कारित अनियमितता

ओम प्रकाश सिंह  
मुसतानि/यातायात

दिनांक 19-06-2024 को “क” रेलवे स्टेशन के आरक्षण कार्यालय में पी-आर-एस- एवं बुकिंग काउंटर पर की गयी सतर्कता निवारक जाँच में आरक्षण लिपिक एवं बुकिंग कर्मचारी द्वारा अपनी-अपनी ड्यूटी के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएं कारित की गईं-

01. सतर्कता दल द्वारा लगभग समय 10:40 बजे से आरक्षण काउंटर पर बाहर से स्लीपर श्रेणी के तत्काल टिकटों के आरक्षण के समय निगरानी की गयी। निगरानी के दौरान सतर्कता दल द्वारा देखा गया कि आरक्षण लिपिक द्वारा तत्काल टिकटों के लिए काउंटर पर लाइन में एक नंबर पर लगे टिकट आवेदक का टिकट जारी करने के बाद, लाइन में दो नंबर पर लगे टिकट आवेदक का टिकट जारी करने के बजाय बिना आरक्षण मांग पत्र के पी-एन-आर- संख्या xxx का तत्काल टिकट बनाकर काउंटर पर उपलब्ध Key Board के नीचे रख लिया गया, फिर लाइन में दो नंबर पर ले टिकट आवेदक का टिकट जारी गया।
02. सतर्कता दल उपरोक्त घटना कम को देखने के बाद आरक्षण कार्यालय में प्रवेश किया गया और काउंटर पर जांच के दौरान आरक्षण लिपिक के Key Board के नीचे उक्त टिकट को रखा हुआ पाया गया। जांच के क्रम में (आरक्षण लिपिक द्वारा ही उक्त तिथि को जारी किया गया) दूसरा 3AC श्रेणी का तत्काल टिकट जिसका पी-एन-आर-संख्या YYY था, आरक्षण लिपिक के बायें तरफ पैर के पास दीवार में लगी पाईप के होल में रखा हुआ पाया गया।
03. तत्पश्चात् सतर्कता दल द्वारा आरक्षण लिपिक से पी.एन.आर. संख्या xxx एवं yyy के टिकट धारकों को मौके पर बुलाने के लिए एवं उक्त टिकटों से संबंधित आरक्षण मांग पत्रों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया। लेकिन आरक्षण लिपिक द्वारा पी.एन.आर. संख्या xxx वाले टिकट से संबंधित आरक्षण मांग पत्र को प्रस्तुत नहीं किया जा सका और उनके द्वारा टिकट के संबंध में बताया गया कि वह नहीं जानती हैं कि टिकट किसका है फिर सतर्कता दल द्वारा आरक्षण लिपिक से पी.एन.आर. संख्या YYY के टिकट के संबंध में पूछा गया तब उनके द्वारा बताया गया कि वह नहीं जानती हैं कि उक्त टिकट किसका है। जबकि जांच के क्रम में आरक्षण लिपिक द्वारा यह बताया गया कि उक्त टिकट को पाईप में उन्होंने ही रखा है। आरक्षण लिपिक के बातों को सुनने के बाद पी.एन.आर. संख्या YYY के आरक्षण मांग पत्र पर दर्ज मोबाइल नंबर .....463..... पर सी.यू.जी. नंबर 979484..... से फोन पर टिकट के संबंध में पूछताछ किया गया। पूछताछ के दौरान मोबाइल धारक द्वारा अपना नाम सीमा और पता लुधियाना बताने के साथ बताया कि उक्त टिकट को उन्होंने नहीं बनवाया है। इस प्रकार आरक्षण लिपिक द्वारा बिना टिकट आवेदकों की उपस्थिति एवं बिना आरक्षण मांग पत्र के उक्त टिकटों को जारी करके अपने पास छिपाकर रख लेना उनके द्वारा आरक्षित टिकटों की दलाली की पुष्टि करता है।
04. जांच के क्रम में आरक्षण लिपिक के सरकारी धनराशि में रुपया 560.00 की वृद्धि पाई ई। इस प्रकार उनके द्वारा IRCM Vol I के पैरा 101 का स्पष्ट उल्लंघन है।
05. यू.टी.एस. काउंटर पर कार्यरत बुकिंग कर्मचारी के कुल सरकारी धनराशि रुपया 20705.00 में से रुपया 5445.00 की कमी पाई ई। इस प्रकार बुकिंग कर्मचारी के कुल सरकारी धनराशि रुपया 20705.00 में से रुपया 5445.00 का कम पाया जाना उनकी संदिग्ध कार्य प्रणाली को भी प्रदर्शित करता है। जो कि IRCM Vol I के पैरा 101 का स्पष्ट उल्लंघन है।
06. उक्त आरक्षण लिपिक एवं बुकिंग कर्मचारी का उपरोक्त कृत्य उनकी सत्यनिष्ठा एवं कर्तव्य परायणता को संदिग्ध बनाते हैं। जिसके लिए उक्त आरोपित कर्मचारियों में से आरक्षण लिपिक को 02 वर्ष के लिए कैश डिबार के साथ दीर्घदण्ड देने एवं बुकिंग कर्मचारी को लघुदण्ड (परिनिंदा, पास एवं पी.टी.ओ. को छोड़कर) देने की अनुशंसा की गयी है।



# **SYSTEM IMPROVEMENTS**





## SYSTEM IMPROVEMENTS IMPLEMENTED IN THE YEAR 2023 AND 2024

| S.N.                                        | Subject                                                                      | Date of Issue |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Department: Accounts &amp; Personnel</b> |                                                                              |               |
| 1                                           | Regarding Payment of Hostel Subsidy                                          | 18-09-2023    |
| 2                                           | Regarding the change in PFM Tier 1 of Railway Employee governed by NPS       | 08-03-2024    |
| 3                                           | Regarding maintenance of the attendance register                             | 12-09-2024    |
| <b>Department: Engineering</b>              |                                                                              |               |
| 1                                           | Regarding Cess Repair works                                                  | 02-08-2023    |
| 2                                           | Regarding Lump Sum payment of Earthwork                                      | 30-11-2023    |
| 3                                           | Regarding Legal Vetting by the law office for credentials for Bidders        | 15-02-2024    |
| 4                                           | Regarding Two Packet System of tendering                                     | 21-02-2024    |
| <b>Department: Electrical</b>               |                                                                              |               |
| 1                                           | Regarding creation of Ledger on UDM                                          | 31-03-2023    |
| <b>Department: Mechanical</b>               |                                                                              |               |
| 1                                           | Regarding Mechanized Laundry                                                 | 13-02-2023    |
| 2                                           | Workshop System Improvement                                                  | 31-05-2023    |
| 3                                           | Regarding mandatory clause and firm's constitution in tender                 | 26-06-2024    |
| 4                                           | Regarding negotiation and estimation of tender                               | 26-06-2024    |
| 5                                           | Regarding Onboard staff ID cards and cash declaration                        | 12-07-2024    |
| <b>Department: Medical</b>                  |                                                                              |               |
| 1                                           | Regarding conveyance allowance of Doctors                                    | 24-08-2023    |
| 2                                           | Regarding Initial Medical Examination                                        | 25-05-2023    |
| <b>Department: Security</b>                 |                                                                              |               |
| 1                                           | Regarding Vehicle logbook Maintenance                                        | 12-01-2023    |
| <b>Department: Signal &amp; Telecom</b>     |                                                                              |               |
| 1                                           | Precautions to be taken during preparation of work schedule                  | 12-08-2023    |
| 2                                           | Regarding issue of HQ controlled high valued items from the S&T store        | 12-08-2023    |
| 3                                           | Regarding Perimetric earth for EI                                            | 21-09-2023    |
| 4                                           | Regarding Improvement in the detailed estimate of Earthing of S&T Equipments | 25-09-2023    |



|   |                                                                                                                             |            |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 5 | Regarding Cable Laying (HDD) Record                                                                                         | 16-01-2024 |
| 6 | Regarding use of LARs of other zones to justify rate reasonability in case of non-availability of unrestricted rates of NER | 16-01-2024 |
| 7 | Regarding vetting of Power of Attorney (POA)                                                                                | 05-08-2024 |

**Department: Stores**

|   |                                                                    |            |
|---|--------------------------------------------------------------------|------------|
| 1 | Regarding recovery of general damages                              | 15-05-2023 |
| 2 | Regarding the purchase and scrap of Base Assembly                  | 08-08-2023 |
| 3 | System Improvements to prevent leakage/pilferage in Scrap Disposal | 17-04-2024 |
| 4 | Regarding description of items in tenders                          | 25-04-2024 |
| 5 | System Improvement in Gem Tenders                                  | 19-07-2024 |

**Department: Traffic - Commercial**

|   |                                                   |            |
|---|---------------------------------------------------|------------|
| 1 | System improvement regarding EFT                  | 24-08-2024 |
| 2 | Regarding self-declaration of money by STBA Staff | 10-09-2024 |

A copy of the above system improvements is available on the Vigilance Department, NER homepage, under the section titled 'Systematic Improvement Initiatives'.

\*\*\*\*\*



**सतर्कता विभाग**  
पूर्वीक्षर रेलवे



हर सोच शुचिता की ओर

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2024**

**सत्यनिष्ठा की संस्कृति  
से राष्ट्र की समृद्धि**





October 31, 1875 - December 15, 1950

**सतर्कता जागरूकता सप्ताह का आयोजन सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म की सालगिरह के अवसर पर किया जाता है।**

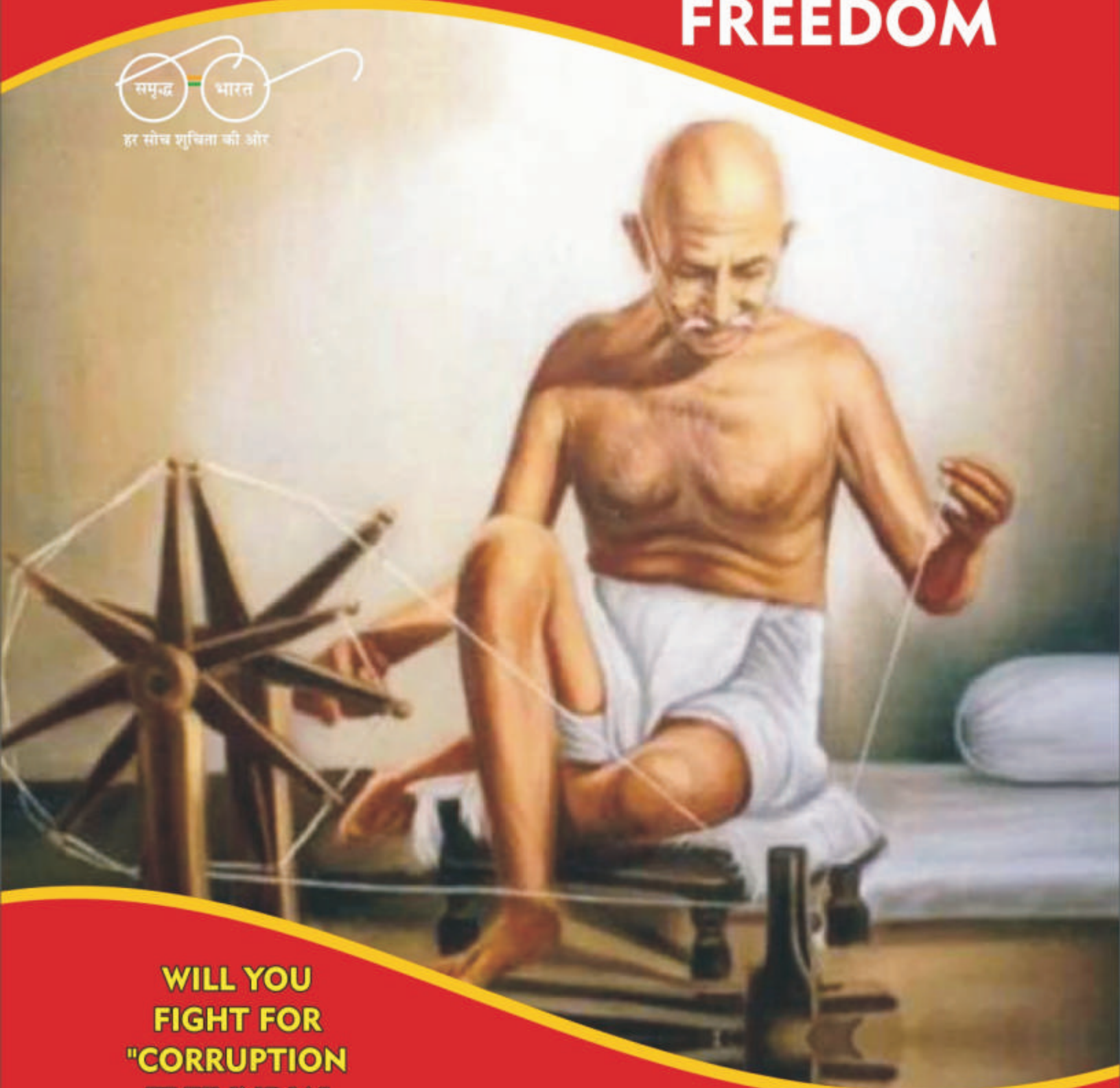
## **अस्वीकरण**

यह बुकलेट मात्र संकेतिक है, अपने आप में सविस्तृत नहीं। यह, संबंधित विषय पर किसी भी प्रकार से किसी नियम, प्रक्रिया तथा वर्तमान अनुदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों को प्रतिस्थापित नहीं करता है। इस बुकलेट में उल्लेखित प्रावधान किसी भी प्रकार से किसी भी रेलवे कोड एवं परिपत्रों का, जिनका इसमें हवाला दिया गया है, अतिक्रमण नहीं करता एवं मामलों को सही संदर्भ में समझने के लिए इन्हें अन्य संगत पॉलिसी/सर्कुलर के समायोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए। इस बुकलेट को किसी भी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है एवं जहाँ कहीं आवश्यक हो तो संबंधित विषय से संबद्ध मूल आदेश को ही प्रस्तुत किया जाना चाहिए।



*I will not let anyone walk through my mind  
with their dirty feet.*

**I FOUGHT FOR  
FREEDOM**



**WILL YOU  
FIGHT FOR  
"CORRUPTION  
FREE INDIA"**

सतर्कता संगठन, पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा प्रकाशित